नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivahan_Vishesh
YouTube

RNI No :- DELHI/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 211, नई दिल्ली, गुरुवार 05 नवम्बर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

नसीबों को कोसने से क्या फायदा, हुनर पाने के लिए हाथ की लकीरें घिसनी पड़ती हैं।

02 अमरूद में कीड़े कहाँ से आते हैं? - बाहर से नहीं, अंदर ही जन्म लेता है हमला
06 एआई के युग में मीडिया: अवसर, चुनौतियाँ और पत्रकारिता का भविष्य
08 देशव्यापी जाली नोटों तलाश में एनआईए ने हजारीबाग में मारा छापा

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज़ लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज़ दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज़ दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर में "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज़ दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

संजय बाठला
मुख्य संपादक

दिल्ली परिवहन आयुक्त की पहल सराहनीय - परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मनाया दीवाली मिलन

बुराड़ी वाहन जाँच शाखा में उमड़ा परिवहन परिवार - चार सौ से अधिक अधिकारी - कर्मचारी हुए शामिल, आपसी मिलन, सहयोग और दल भावना का हुआ अद्भुत संगम

प्रस्तुतकर्ता- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

प्रस्तावना: त्योहार केवल दीप जलाने का नाम नहीं है, त्योहार दिलों को जोड़ने का नाम है। इसी भावना को साकार किया दिल्ली परिवहन विभाग ने। बुराड़ी वाहन जाँच शाखा में बुधवार को आयोजित दीवाली मिलन समारोह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि परिवहन परिवार के एकजुट होने, एक-दूसरे को समझने और विभागीय समरसता को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक क्षण था।

परिवहन आयुक्त निहारिका राय के दिशा-निर्देश पर आयोजित यह कार्यक्रम अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच की दूरी को मिटाकर, उन्हें एक परिवार के रूप में एक मंच पर ले आया।

मुख्य तथ्य – एक दृष्टि में:

- स्थान: बुराड़ी वाहन जाँच शाखा, दिल्ली
- आयोजन: दीवाली मिलन समारोह
- आयोजक: दिल्ली परिवहन विभाग
- सहभागी विभाग: दिल्ली परिवहन विभाग एवं दिल्ली बुनियादी ढाँचा एवं पर्यटन विकास निगम
- सहभागिता: चार सौ से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी
- विशेष आमंत्रण: दिल्ली परिवहन मंत्री को भी समारोह में आमंत्रित किया गया
- विशेष व्यवस्था: समापन पर सभी के लिए चाय पानी की समुचित व्यवस्था

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

1. स्वागत से हुई शुरुआत: कार्यक्रम की शुरुआत अत्यंत गरिमामय वातावरण में हुई। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा विशेष आयुक्त और आयुक्त का शाल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। मंच पर अतिथिगणों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। यह दृश्य ही बता रहा था कि यह मिलन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्मीयता का प्रतीक है।

मंच पर बैठे अधिकारियों के चेहरों पर मुस्कान और आपसी सम्मान की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही थी।

2. बुराड़ी में भव्य आयोजन: बुधवार को परिवहन आयुक्त के दिशा-निर्देश पर पूरे दिल्ली परिवहन विभाग तथा दिल्ली बुनियादी ढाँचा एवं पर्यटन विकास निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी एकत्र हुए। पूरे परिसर को दीप पर्व के अनुरूप सजाया गया था।

दिल्ली परिवहन मंत्री को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई।

3. चार सौ से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों की सहभागिता: दीवाली मिलन कार्यक्रम में चार सौ से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। सभी ने हर्ष और उल्लास के साथ दीप पर्व का आनंद लिया।

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी से लेकर कनिष्ठ कर्मचारी तक सभी एक साथ बैठे, एक साथ भोजन किया और एक-दूसरे को दीवाली की शुभकामनाएँ दीं। पद और स्तर की दीवार यहाँ टूटती हुई दिखाई दी।

4. भोजन की व्यवस्था: आयोजन के समापन पर सभी के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था की गई। पारंपरिक व्यंजनों और मिठाइयों के साथ यह सहभोज भी आपसी प्रेम का प्रतीक बना।

मुख्य बिंदु – क्यों है यह पहल मील का पत्थर?

क. आपसी मिलन की पहल: सरकारी विभागों में अक्सर काम के दबाव में अधिकारी-कर्मचारी एक-दूसरे से औपचारिक रूप से ही मिल पाते हैं। इस आयोजन ने उन्हें अनौपचारिक रूप से मिलने, बात करने और समझने का अवसर दिया।

ख. दल भावना को बल: परिवहन आयुक्त निहारिका राय की यह पहल दल भावना को मजबूत करने वाली सिद्ध हुई। जब अधिकारी और कर्मचारी एक परिवार की तरह काम करेंगे, तो दिल्ली की परिवहन सेवा और अधिक सुदृढ़ होगी।

ग. मनोबल में वृद्धि: कर्मचारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे विभाग में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। इस प्रकार के आयोजन से कार्यस्थल पर समन्वय और सहयोग बढ़ता है।

घ. संगठन में समरसता: भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों से संगठन में समरसता बढ़ेगी, ऐसा विश्वास सभी ने जताया।

संपादकीय टिप्पणी: परिवहन विभाग केवल वाहनों की जाँच, लाइसेंस और परमिट का विभाग नहीं है। यह दिल्ली की जीवन-रेखा है। लाखों लोग रोजाना दिल्ली की सड़कों पर परिवहन विभाग की व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं।

ऐसे में यदि विभाग का परिवार ही एकजुट नहीं होगा, तो जनता की सेवा कैसे सुदृढ़ होगी? इसीलिए परिवहन आयुक्त निहारिका राय की यह पहल केवल एक दीवाली मिलन नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है।

नेतृत्व वही सार्थक होता है जो अपने लोगों को जोड़े, उनका मनोबल बढ़ाए और उन्हें परिवार का एहसास कराए। इस कसौटी पर यह आयोजन पूरी तरह खरा उतरा।

निष्कर्ष: बुराड़ी का यह दीवाली मिलन समारोह परिवहन विभाग के इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। दीपों की रोशनी में अधिकारियों और कर्मचारियों ने एकता और सहयोग से दिल्ली की परिवहन सेवा को और सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया।

यही दीवाली का सच्चा संदेश है - अंधकार से प्रकाश की ओर, दूरी से निकटता की ओर, और औपचारिकता से आत्मीयता की ओर।

परिवहन विशेष परिवार की ओर से परिवहन आयुक्त निहारिका राय सहित समस्त परिवहन परिवार को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।



जनहित संदेश / कोर्ट आदेश विशेष - स्रोत: माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच, आदेश दिनांक 28.10.2026, WPIL No. 329 of 2026

लखनऊ के जाम पर हाईकोर्ट सख्त – 1.33 लाख ई–रिक्शा बने बड़ी वजह, नए रजिस्ट्रेशन पर रोक पर 4 हफ्ते में फैसला कामता चौराहा और पॉलीटेक्निक–कामता–चिनहट रोड के लिए IIT–BHU करेगा 4 माह में ट्रैफिक स्टडी, SIT को 12.05.2022 के आदेश का पालन कराने के निर्देश

प्रधान संपादक: संजय कुमार बाठला - परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

लखनऊ - इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच ने राजधानी लखनऊ की बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर जनहित याचिका में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि ई-रिक्शा की बेतहाशा संख्या ही शहर में जाम की मुख्य वजहों में से एक है, और इस पर अब ठोस कार्रवाई का समय आ गया है।

तथ्य एक नज़र में

बिंदु *विवरण*
मामला जनहित याचिका (PIL) संख्या - ३२९ / २०२६
याचिकाकर्ता प्रशांत शर्मा व अन्य
प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव, नगर विकास व २५ अन्य
पीठ माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर व माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी
आदेश की तिथि २८ अक्टूबर, २०२६
अगली सुनवाई ०९ दिसंबर, २०२६
कोर्ट नंबर ०५, लखनऊ बेंच

मुख्य बिंदु - आम जनता को क्या जानना चाहिए

1. SIT के अध्यक्ष नियुक्त - DCP क्राइम को कमान

पुलिस कमिश्नर, लखनऊ ने कोर्ट के पूर्व निर्देश पर वर्तमान में DCP (क्राइम) के पद पर तैनात श्री अनिल कुमार यादव को SIT का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी आदेश पत्रावली पढ़ ली है और अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझते हैं।



२. कामता चौराहा के लिए IIT-BHU करेगा अध्ययन

कोर्ट को बताया गया कि IIT (BHU) को लखनऊ की यातायात स्थिति को सुधारने के लिए अंडरपास, क्लोवर लीफ आदि के निर्माण पर राय देने के लिए लगाया गया है। IIT-BHU ट्रैफिक स्टडी, मल्टी डायरेक्शनल ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक सिमुलेशन स्टडी और कामता चौराहा तथा पॉलीटेक्निक-कामता-चिनहट रोड पर स्थायी और दीर्घकालिक समाधान के लिए एक्शन प्लान का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगा। राय अगले 4 माह में आने की संभावना है।

३. लखनऊ में 1,33,000 ई-रिक्शा - जाम की बड़ी वजह

कोर्ट में कई बार विचार-विमर्श में सभी पक्ष इस बात पर सहमत रहे कि लखनऊ की सड़कों पर चल रहे लगभग 1,33,000 ई-रिक्शा शहर में जाम का एक मुख्य कारण हैं।

4. नए ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर रोक का आदेश संभव - 4 हफ्ते में फैसला

कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को निर्देश दिया है कि वे इस पहलू पर विचार करें। यदि उन्हें लगता है कि लखनऊ या प्रदेश के किसी अन्य शहर में ई-रिक्शा की संख्या आवश्यकता से कहीं अधिक है, तो वे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को नए ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन तत्काल रोकने का आदेश दे सकते हैं, जब तक इस निर्णय की समीक्षा न हो। यह निर्णय अगले 4 हफ्ते में लेना होगा।

5. केंद्र सरकार का जवाब - रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, सिर्फ फीस में छूट

राज्य सरकार के पत्र पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि केवल निर्धारित शुल्क में छूट दी गई है, लेकिन धारा 39 के तहत रजिस्ट्रेशन की अनिवार्य आवश्यकता समाप्त नहीं की गई है।

6. 12.05.2022 का आदेश लागू नहीं हुआ - SIT कराएगी पालन

मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 178 के तहत राज्य को किसी सड़क / मार्ग पर वाहनों के संचालन को नियंत्रित करने की शक्ति है। 12.05.2022 का आदेश पहले से मौजूद है, जिसमें कई सड़कों पर ई-रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध है, लेकिन आम जानकारी में यह आदेश पूरी तरह लागू नहीं हुआ। कोर्ट ने SIT को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर इस आदेश को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाने के लिए पुन: विचार करने का निर्देश दिया है।

7. आम नागरिक को परेशानी न हो - वैकल्पिक मार्ग जरूरी

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब भी नियम 178 के तहत ई-रिक्शा को लेकर कोई आदेश पारित हो, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि वैकल्पिक मार्ग / मार्गों को चिन्हित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को कष्ट न हो।

विस्तृत विवरण - संपादकीय शैली में

लखनऊ की सड़कों पर रोज़ाना घंटों जाम में फंसे नागरिकों के लिए यह आदेश एक उम्मीद की किरण है। कोर्ट ने केवल टिप्पणी नहीं की, बल्कि समयबद्ध कार्यवाही तय की है - एक तरफ SIT को जमीन पर पुराने आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है, तो दूसरी तरफ IIT-BHU जैसे तकनीकी संस्थान से वैज्ञानिक समाधान मांगा गया है।

सबसे बड़ा संदेश ई-रिक्शा चालकों, मालिकों और परिवहन विभाग के लिए है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्शा चलाना और हर गली में अनियंत्रित संख्या बढ़ाना आसान नहीं होगा। कोर्ट का रुख स्पष्ट है - रोज़गार भी जरूरी है, लेकिन नियम और आम जनता की सुविधा उससे ऊपर है।

वहीं आम यात्रियों के लिए कोर्ट ने मानवीय पहलू भी रखा है। प्रतिबंध लगने पर वैकल्पिक मार्ग देना अनिवार्य होगा, ताकि स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, मरीज़ और बुजुर्ग परेशान न हों।

अगली सुनवाई 09 दिसंबर, 2026 को होगी, जिसमें अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोर्ट में उस दिन मुख्य अभियंता (PWD) श्री रविन्द्र सिंह, RTO (Enforcement) लखनऊ श्री प्रभात पाण्डेय, DCP श्री अनिल कुमार यादव तथा अपर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ श्री पंकज श्रीवास्तव को फिर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

जनहित संदेश - परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक की अपील

> नागरिकों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रेशन, नियम 178 के तहत प्रतिबंधित मार्गों और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस की आधिकारिक सूचना का पालन करें। ई-रिक्शा चालक बिना रजिस्ट्रेशन वाहन न चलाएं और प्रतिबंधित सड़कों पर न जाएं। जाम से मुक्त लखनऊ के लिए नियम का पालन ही सबसे बड़ा सहयोग है।

स्रोत: माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच, आदेश दिनांक २८.१०.२०२६, WPIL No. ३२९ of २०२६

दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकारी विभागों और एजेंसियों की ग़लतियाँ - सज़ा जनता को

जब प्रदूषण पर पहरा ही कागजी हो, तो हवा साफ़ कैसे हो?

प्रदूषण की बारात निकल रही है,
प्रशासन बैंड बजा रहा है
हवा ज़हरीली है, मगर सरकारी कार्रवाई
पूरी तरह स्वस्थ है

लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता - संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

प्रस्तावना - साँस पर संकट

सर्दी आते ही दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर ज़हरीली हो जाती है। सुबह धुंध नहीं, धुआँ दिखाई देता है। आँखों में जलन, गले में खराश, साँस में तकलीफ़ - यह अब मौसम की पहचान बन गई है।

कागज़ों पर हमारे नियम इतने कड़े हैं कि प्रदूषण करने वाले की साँस रुक जाए। जुर्माने भारी हैं, धाराएँ डरावनी हैं, आयोग बने हुए हैं। लेकिन ज़मीन पर जाइए तो वही नियम ऐसे लड़खड़ाते नज़र आते हैं जैसे बीमार आदमी। अदालतें फटकारती हैं, अधिकारी बैठकें करते हैं और फिर सब कुछ वैसा ही चलता रहता है।

लगता है प्रदूषण को रोकने से अधिक उसे लेकर चिंता जताने की व्यवस्था विकसित हो गई है। असली सवाल यही है कि नियम इतने सख्त होने के बावजूद उनका पालन इतना कमज़ोर क्यों है?

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम: वर्षों से बहुत बड़ा खर्च किया गया, लेकिन परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं मिले।
- शहरों की स्थिति: अधिकांश शहर अब भी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों से ऊपर प्रदूषण झेल रहे हैं। केवल कुछ ही शहर निर्धारित मानकों तक पहुँच पाए। कई शहरों में तो खर्च के बावजूद प्रदूषण बढ़ गया।
- बोर्डों में रिक्त पद: प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में लगभग आधे पद खाली हैं। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और निरीक्षकों की कमी से कारखानों तथा प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की नियमित जाँच प्रभावित होती है।
- जुर्माना और वसूली: दिल्ली में निर्माण संबंधी उल्लंघनों पर भारी जुर्माने लगाए गए, लेकिन वसूली बहुत कम हो सकी। जुर्माना लगाने में तेज़ी और वसूली में सुस्ती - कैसी सख्ती है?
- राज्यों की प्रगति: दिल्ली-एनसीआर के राज्यों ने निर्धारित कार्ययोजनाओं का केवल आधे से थोड़ा अधिक काम पूरा किया। एक राज्य की प्रगति सबसे पीछे रही, जबकि दूसरा राज्य अपेक्षाकृत आगे रहा।
- सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी: सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि केवल आदेश जारी करने से समस्या हल नहीं होगी, उनका ज़मीन पर पालन होना चाहिए।

विस्तृत विश्लेषण - भाग एक: पैसा खर्च हुआ, हवा साफ़ क्यों नहीं हुई?

जनता को यह जानने का अधिकार है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ और उससे कितना सुधार आया। सरकारी खर्च की बड़ी रकम अपने आप सफलता का प्रमाण नहीं बन जाती।

जब परिणाम हवा में दिखाई न दें, तो योजनाओं की समीक्षा भी उतनी ही कठोर होनी चाहिए जितने कठोर उनके नियम हैं।

समस्या यह है कि प्रदूषण नियंत्रण का अर्थ केवल योजनाएँ बनाना, बैठकें करना और रिपोर्ट तैयार करना रह गया है। फाइल में कार्रवाई पूरी हो जाती है, लेकिन सड़क पर धूल उड़ती रहती है।

सड़क की सफाई, निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव, कचरा जलाने पर रोक, वाहनों के धुएँ की जाँच - ये सब काम कागज़ पर पूरे दिखते हैं, ज़मीन पर अधूरे।

विस्तृत विश्लेषण - भाग दो: चौकीदार के बिना घर की सुरक्षा

प्रदूषण नियंत्रण की ज़िम्मेदारी जिन बोर्डों पर है, उनकी स्थिति भी चिंताजनक है।

यह वैसा ही है जैसे चौकीदार के बिना घर की सुरक्षा की उम्मीद करना। जब निरीक्षक ही नहीं होंगे, तो कारखानों के धुएँ और औद्योगिक कचरे पर निगरानी कौन रखेगा?

नियम बनाने वाली व्यवस्था मौजूद है, लेकिन उन्हें लागू करने वाले पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। खाली पद प्रदूषण फैलाने वालों को खुली छूट देते हैं।

जब तक संस्थाओं को पर्याप्त कर्मचारी, आधुनिक उपकरण और स्वतंत्र कार्यक्षमता नहीं मिलेगी, तब तक कागज़ी सख्ती का कोई अर्थ नहीं होगा।

कई निगरानी केंद्र बंद रहते हैं और निर्माण स्थलों पर नियमों का उल्लंघन जारी रहता है।

विस्तृत विश्लेषण - भाग तीन: दिल्ली सरकार, विभागों और एजेंसियों की ग़लतियाँ - सज़ा जनता को

इस मुद्दे का सबसे पीड़ादायक पक्ष यही है - दिल्ली सरकार, दिल्ली के सरकारी विभागों और एजेंसियों की ग़लतियों की सज़ा बीमारियों और उल्टे दंड के रूप में भी जनता पर पड़ती है और परेशान भी जनता ही होती है।

विभाग समय पर काम नहीं करते, एजेंसियाँ समन्वय नहीं करतीं, निगरानी केंद्र बंद रहते हैं, निर्माण स्थलों पर नियम नहीं मनवाए जाते, सड़कों की सफाई अधूरी रहती है, कचरा जलाना नहीं रुकता, और जब प्रदूषण बढ़ता है तो पाबंदियाँ जनता पर लगा दी जाती हैं।

स्कूल बंद, निर्माण कार्य पर रोक, वाहनों पर प्रतिबंध, बाज़ार पर असर - इन सबका बोझ आम आदमी उठाता है। जो अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते, उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो जनता पहले से ही ज़हरीली हवा झेल रही है, उसे ही और परेशानी झेलनी पड़ती है।

यह दोहरा अन्याय है - पहले ग़लती विभाग की, फिर सज़ा जनता की।

विस्तृत विश्लेषण - भाग चार: संवैधानिक अधिकार - स्वच्छ हवा कोई कृपा नहीं, अधिकार है

अनुच्छेद इक्कीस - जीवन का अधिकार: संविधान के अनुच्छेद इक्कीस के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ हवा में साँस लेने का अधिकार भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक आदेशों में स्पष्ट किया है कि प्रदूषित हवा में जीना जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

अनुच्छेद अड़तालीस-क - पर्यावरण संरक्षण: राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करे।

अनुच्छेद इक्यावन-क - नागरिक कर्तव्य: प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और सभी जीवों के प्रति दया रखे।

इसलिए स्वच्छ हवा देना सरकार की कृपा नहीं, संवैधानिक दायित्व है। और पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार का नहीं, हम सबका कर्तव्य भी है।

विस्तृत विश्लेषण - भाग पाँच: कानून, अधिनियम और न्यायिक आदेश



वायु अधिनियम: वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए वायु अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कारखानों की जाँच, मानक तय करने और उल्लंघन पर कार्रवाई का अधिकार मिला है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम: यह अधिनियम पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ देता है। इसके अंतर्गत नियम बनाना, मानक तय करना और उल्लंघन पर दंड देना संभव है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम: पर्यावरण से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अधिकरण का गठन किया गया।

राजपत्रित अधिसूचनाएँ और ग्रेडेड रिस्पांस कार्ययोजना: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने पर चरणबद्ध पाबंदियाँ लागू करने की व्यवस्था है। अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्माण, वाहन, उद्योग और धूल नियंत्रण के निर्देश जारी होते हैं।

न्यायिक आदेश: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए आदेश देते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि केवल आदेश जारी करने से समस्या हल नहीं होगी, उनका ज़मीन पर पालन होना चाहिए।

सवाल यही है - जब संविधान, अधिनियम, अधिसूचना और न्यायालय के आदेश - सब मौजूद हैं, तो पालन क्यों नहीं हो रहा?

विस्तृत विश्लेषण - भाग छह: राज्य बनाम राज्य - हवा सीमाएँ नहीं पहचानती

प्रदूषण किसी एक शहर या राज्य की समस्या नहीं है, लेकिन इसे रोकने की ज़िम्मेदारी आते ही सभी अपने-अपने दायरे में सिमट जाते हैं।

एक राज्य पराली जलाने का आरोप लगाता है, दूसरा वाहनों और निर्माण की धूल को ज़िम्मेदार ठहराता है। दिल्ली अपनी समस्याएँ गिनाती है और पड़ोसी राज्य अपनी मजबूरियाँ।

इस आरोप-प्रत्यारोप में प्रदूषण बढ़ता रहता है। आयोगों और बैठकों का कोई विशेष अर्थ नहीं, जब तक साझा कार्ययोजना और ज़िम्मेदारी तय न हो। हवा राज्य की सीमाएँ नहीं पहचानती, इसलिए उसे साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी भी सीमाओं में नहीं बँट सकती।

विस्तृत विश्लेषण - भाग सात: कार्रवाई में असमानता

नियमों के कमज़ोर पड़ने का एक बड़ा कारण कार्रवाई में असमानता भी है। छोटे ठेकेदार या दुकानदार पर कार्रवाई आसान है, लेकिन बड़ी औद्योगिक इकाइयों के मामलों में प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है।

कहीं कानूनी अपील, कहीं तकनीकी जाँच और कहीं विभागीय अनुमति के नाम पर कार्रवाई टलती रहती है। इस बीच प्रदूषण जारी रहता है।

कानून का प्रभाव तभी होगा, जब वह छोटे-बड़े सभी पर समान रूप से लागू होगा।

साथ ही, प्रदूषण के लिए किसी एक कारण को ज़िम्मेदार ठहराकर बाकी समस्याओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। पराली के साथ वाहनों का धुआँ, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण की धूल, कचरा जलाना और सड़कों की खराब सफाई भी प्रदूषण बढ़ाते हैं। समस्या अनेक कारणों से पैदा होती है, इसलिए समाधान भी व्यापक और निरंतर होना चाहिए।

समाधान - अब क्या होना चाहिए?

- पुराने आदेशों का पालन: अब आवश्यकता नए आदेशों से अधिक पुराने आदेशों के पालन की है।
- खाली पद भरे जाएँ: प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के खाली पद भरे जाएँ और निगरानी केंद्र सक्रिय रहें।
- जुर्मानों की पूरी वसूली: बार-बार नियम तोड़ने वाली इकाइयों पर कठोर कार्रवाई हो।
- ज़िम्मेदारी तय हो: प्रत्येक विभाग और अधिकारी की ज़िम्मेदारी तय हो। अधिकारियों से केवल आदेश नहीं, ठोस परिणाम भी माँगे जाएँ।
- पारदर्शिता: योजनाओं पर खर्च और उनके परिणाम सार्वजनिक किए जाएँ।
- समन्वय: राज्यों के बीच समन्वय बढ़े और प्रदूषण के स्रोतों की नियमित निगरानी हो।
- जनता की भागीदारी: जनता को शिकायत और सुझाव का सरल माध्यम मिले।
- सफलता का मापदंड: प्रदूषण नियंत्रण की सफलता बैठकों और रिपोर्टों से नहीं, बल्कि हवा की गुणवत्ता में सुधार से मापी जानी चाहिए।

निष्कर्ष - कागज़ का शेर और जनता की साँस

विडंबना यह है कि जिस हवा पर सबका समान अधिकार है, उसे साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी निभाने में ही सबसे अधिक लापरवाही दिखाई देती है।

जनता को स्वच्छ हवा का आश्वासन मिलता है, लेकिन बदले में उसे मास्क, दवाइयाँ और बीमारियों का खर्च उठाना पड़ता है।

सरकार की सफलता नियमों की संख्या या खर्च किए गए बजट से नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन में आए सुधार से तय होनी चाहिए।

जब तक नियम तोड़ने वालों को दंड और ज़िम्मेदारी से बचने वाले अधिकारियों को जवाबदेही का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब तक स्थिति नहीं बदलेगी।

आखिर कानून का उद्देश्य फाइलों में सख्ती दिखाना नहीं, लोगों का जीवन सुरक्षित करना है। वरना नियम कागज़ों पर शेर बने रहेंगे, अधिकारी उनकी दहाड़ सुनाते रहेंगे और जनता ज़हरीली हवा में साँस लेने को मजबूर रहेगी।

परिवहन विशेष परिवार की ओर से अपील - स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, इसे माँगना नहीं, दिलाना सरकार का कर्तव्य है।

अमरूद में कीड़े कहाँ से आते हैं? - बाहर से नहीं, अंदर ही जन्म लेता है हमला

देखने में सही लगता है अमरूद, काटने पर निकलते हैं कीड़े – पकते अमरूद की मीठी खुशबू से आकर्षित होती है मादा फ्रूट फ्लाई

पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

प्रस्तावना - ऊपर से सही, अंदर से खराब आपने कभी अमरूद खरीदा हो, ऊपर से एकदम सही, सुंदर और पका हुआ। काटा तो अंदर सफेद-सफेद छोटे-छोटे कीड़े रेंगते हुए दिखे। मन खराब हो गया, पूरा अमरूद फेंकना पड़ा।

सवाल उठता है - ये कीड़े अमरूद के अंदर पहुँचे कैसे? क्या किसी ने इसमें कीड़े डाल दिए? क्या दुकानदार ने खराब अमरूद बेच दिया?

सच यह है कि ये कीड़े बाहर से नहीं आते। ये अमरूद के अंदर ही पैदा होते हैं। इसका कारण है एक छोटी सी मक्खी - फ्रूट फ्लाई।

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- कीट का नामः फ्रूट फ्लाई / फल मक्खी
- आकारः बहुत छोटी, लगभग पाँच से आठ मिलीमीटर लंबी - यानी एक मच्छर से थोड़ी बड़ी
- हमला कबः जब अमरूद पकने लगता है और उसमें मिठास व खुशबू आने लगती है
- हमला कैसेः मादा मक्खी अपने नुकीले अंग - ओविपोजिटर, यानी अंडे देने वाली सूई से अमरूद का छिलका छेदकर अंदर अंडे दे देती है
- एक बार में अंडेः एक छेद में पाँच से दस अंडे
- पहचानः बाहर से अमरूद सही लगता है, छेद इतना बारीक होता है कि आँख से दिखाई नहीं देता
- नुकसानः अमरूद अंदर से सड़ने लगता है, खाने योग्य नहीं रहता

विस्तृत विवरण - फ्रूट फ्लाई का पूरा जीवन-चक्र

चरण एक - मादा मक्खी का आनाः पकते अमरूद की मीठी खुशबू हवा में फैलती है। इसे सूँघकर मादा फ्रूट फ्लाई अमरूद पर आकर बैठ जाती है। वह ऐसा अमरूद चुनती है जो पक रहा हो, नरम हो।

चरण दो - छिलके में छेद और अंडे देनाः मादा मक्खी अपनी सूई जैसे अंग से अमरूद के छिलके में बहुत बारीक छेद करती है। इस छेद में वह अपने अंडे रख देती है। छेद इतना छोटा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें लगता है अमरूद सही है।

चरण तीन - अंडों से लार्वा निकलनाः एक से तीन दिन के अंदर इन अंडों से छोटे-छोटे सफेद कीड़े निकलते हैं। इन्हें ही लार्वा कहते हैं। यही वे कीड़े हैं जो हमें अमरूद काटने पर दिखाई देते हैं।

चरण चार - लार्वा का गूदा खानाः लार्वा लगभग चार से तेरह दिन तक अमरूद के अंदर ही रहकर उसका मीठा गूदा खाता रहता है। जैसे-जैसे वह खाता है, अमरूद अंदर से नरम, गला हुआ और सड़ा हुआ हो जाता है।

चरण पाँच - ज़मीन पर गिरना और प्यूपा बननाः जब लार्वा पूरी तरह बड़ा हो जाता है, तो वह अमरूद को छोड़कर ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन की मिट्टी में जाकर वह एक कठोर खोल में बंद हो जाता है। इसे प्यूपा कहते हैं।

चरण छह - नई मक्खी बननाः सात से अठारह दिन के बाद इस खोल से एक नई फ्रूट फ्लाई निकलती है। वह फिर से किसी नए पकते अमरूद की तलाश में उड़ जाती है। इस तरह यह चक्र चलता रहता है।

यानी एक मक्खी से शुरू हुआ हमला, कुछ ही दिनों में पूरे बगीचे में फैल जाता है।

मुख्य बिंदु - क्यों फैलता है यह हमला इतनी तेज़ी से?

क. दिखाई न देने वाला छेदः मक्खी का छेद इतना बारीक होता है कि किसान और ग्राहक दोनों को पता नहीं चलता। जब तक कीड़े दिखते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है।

ख. गिरे हुए फल - सबसे बड़ा कारणः जो सड़े-गले अमरूद पेड़ के नीचे गिरे रह जाते हैं, उन्हीं में हज़ारों लार्वा पलते हैं। उन्हीं से नई मक्खियाँ बनती हैं और फिर से पेड़ पर हमला करती हैं।

ग. एक साथ पकनाः जब बगीचे में बहुत से अमरूद एक साथ पकते हैं, तो मक्खियों को भरपूर भोजन और अंडे देने की जगह मिल जाती है।

घ. गर्म और नम मौसमः गर्मी और नमी में फ्रूट फ्लाई तेज़ी से बढ़ती है। यही कारण है कि बरसात और गर्मी के मौसम में अमरूद में कीड़े अधिक मिलते हैं।

जनहित में सावधानी - किसान और उपभोक्ता क्या करें?

किसानों के लिएः

- फल को थैली से ढकनाः अमरूद के छोटे रहने पर ही उसे कागज़ या कपड़े की थैली से ढक दें। इससे मक्खी छेद नहीं कर पाएगी। यह सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है।
- गिरे हुए फल नष्ट करनाः पेड़ के नीचे गिरा हुआ कोई भी अमरूद न छोड़ें। उसे उठाकर गड्ढे में दबा दें या दूर नष्ट कर दें। इससे जीवन-चक्र टूट जाएगा।
- बगीचे की सफाईः बगीचे में सड़े-गले फल, पत्ते और कचरा जमा न होने दें।
- जाल लगानाः बगीचे में फ्रूट फ्लाई को आकर्षित करने वाले जाल / ट्रैप लगाएँ। इससे मक्खियों की संख्या का पता भी चलता है और नियंत्रण भी होता है।
- समय पर तुड़ाईः अमरूद को ज़्यादा पकने से पहले ही तोड़ लें। ज़्यादा पका अमरूद मक्खी को अधिक आकर्षित करता है।

उपभोक्ताओं के लिएः

- अमरूद खरीदते समय उसे हल्के से दबाकर देखें। अधिक नरम, दागदार या छेद वाला अमरूद न लें।
- अमरूद को काटकर अच्छी तरह देखकर ही खाएँ।
- घर पर अमरूद को अधिक दिनों तक खुला न रखें।

रासायनिक छिड़काव के लिएः

किसी भी कीटनाशक का प्रयोग करने से पहले कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लें। बिना सलाह के छिड़काव से फल, मिट्टी और स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है।

संपादकीय टिप्पणी अमरूद में कीड़ा कोई जादू नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब तक हम इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, तब तक हम केवल खराब फल फेंकते रहेंगे।

असली समाधान दवा में नहीं, समझदारी और सफाई में है। थैली से ढकना, गिरे फल को नष्ट करना और समय पर तुड़ाई करना - ये तीन छोटे काम ही बड़े नुकसान से बचा सकते हैं।

निष्कर्ष अमरूद में कीड़े बाहर से नहीं आते, वे अंदर ही जन्म लेते हैं। मादा फ्रूट फ्लाई का एक छोटा सा छेद, कुछ दिनों में पूरे अमरूद को खराब कर देता है।

इसलिए किसान जागरूक होगा, तो बगीचा बचेगा। उपभोक्ता जागरूक होगा, तो थाली बचेगी।

परिवहन विशेष परिवार की ओर से अपील - फल को ढकिए, बगीचा साफ रखिए, गिरा फल नष्ट कीजिए - कीड़ों का चक्र वहीं टूट जाएगा।



हल्दी पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में हल्दी मिली ही नहीं - चावल के आटे में रंग और सेंट मिलाकर बनाया जा रहा था नकली हल्दी पाउडर

रायबरेली – कानपुर में पीताम्बरा इंटरप्राइजेज मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का बड़ा छापा – सातों तरफ हैरानी, फैक्ट्री में असली हल्दी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला

प्रस्तुतकर्ता- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

प्रस्तावना: आप अपने घर में रोज़ जिस हल्दी को सेहत का रक्षक समझकर दाल-सब्ज़ी में डालते हैं, सोचिए अगर वही हल्दी ही नकली हो तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आया यह मामला सिर्फ मिलावटखोरी नहीं है, यह सीधे-सीधे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

खाद्य विभाग की टीम ने कानपुर में पीताम्बरा इंटरप्राइजेज नाम की मसाला फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहाँ का नज़ारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। हल्दी पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में हल्दी ही नहीं थी।

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में:

- स्थानः पीताम्बरा इंटरप्राइजेज मसाला फैक्ट्री, कानपुर - कार्रवाई रायबरेली खाद्य विभाग की टीम द्वारा
- छापा मारने वाली टीमः खाद्य विभाग
- क्या बन रहा थाः हल्दी पाउडर, मिर्च-धनिया पाउडर
- किससे बन रहा थाः असली हल्दी की जगह चावल के आटे में रंग और सेंट / सुगंध मिलाकर
- जब्त सामग्रीः सतहत्तर बोरी चावल के टुकड़े, बयालीस बोरी नकली हल्दी पाउडर, मिर्च-धनिया पाउडर और तरल रंग
- जब्त सामग्री की अनुमानित कीमतः लगभग पाँच लाख छियासी हज़ार रुपये
- सबसे चौंकाने वाली बातः फैक्ट्री में असली हल्दी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला

छापे का विस्तृत विवरण:

1. कैसे हुआ खुलासाः खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि इस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर मिलावटी मसाले तैयार किए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने अचानक छापा मारा। टीम के पहुँचते ही फैक्ट्री के अंदर का सच सामने आ गया।

2. क्या-क्या मिला मौके परः छापेमारी में अधिकारियों को मौके से सतहत्तर बोरी चावल के टुकड़े मिले। इसके अलावा बयालीस बोरी तैयार नकली हल्दी पाउडर, मिर्च-धनिया पाउडर और तरल रंग / लिक्विड कलर बरामद हुआ।

सभी सामग्री को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग पाँच लाख छियासी हज़ार रुपये बताई गई है।

3. कैसे बनाई जा रही थी नकली हल्दीः जाँच में पता चला कि फैक्ट्री में हल्दी पाउडर बनाने के लिए असली हल्दी का प्रयोग ही नहीं हो रहा था। उसकी जगह चावल के आटे में कृत्रिम रंग और सेंट / सुगंध मिलाया जा रहा था।

चावल के आटे को पीसकर, उसमें पीला रंग और हल्दी जैसी गंध वाला सेंट मिलाकर उसे हल्दी पाउडर के नाम से पैक करने की तैयारी थी। यही नकली हल्दी बाज़ार में असली हल्दी के नाम पर बेची जानी थी।

4. सबसे हैरान करने वाला तथ्य:

पूरी फैक्ट्री की तलाशी के बाद भी अधिकारियों को असली हल्दी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। यानी यह फैक्ट्री हल्दी पाउडर के नाम पर सिर्फ रंग और आटा बेच रही थी।

यह अपने आप में मिलावटखोरी के खेल की सबसे बड़ी परत खोलता है।

मुख्य बिंदु - क्यों है यह मामला गंभीर?

क. स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ः कृत्रिम रंग और रासायनिक सुगंध वाले मसालों के सेवन से पेट, लीवर, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है। बच्चे, बुज़ुर्ग और बीमार लोगों के लिए यह और भी अधिक खतरनाक है।

ख. विश्वास के साथ धोखाः हल्दी को भारतीय रसोई में औषधि माना जाता है। लोग उसे सेहत के लिए खाते हैं। जब उसी में मिलावट हो तो यह सिर्फ आर्थिक धोखा नहीं, भावनात्मक और शारीरिक धोखा भी है।

ग. बड़े पैमाने पर फैला जालः बयालीस बोरी तैयार नकली हल्दी इस बात का प्रमाण है कि यह काम छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर हो रहा था। यह माल कहाँ-कहाँ जाता, कितने घरों तक पहुँचता, इसका अंदाज़ा लगाना भी डरावना है।

घ. मिलावटी खाद्य पदार्थों पर फिर उठे सवालः इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि बाज़ार में बिकने वाले मसाले कितने शुद्ध हैं? क्या सिर्फ छापे से ही इस जाल को तोड़ा जा सकता है, या इसके लिए स्थायी निगरानी और कठोर सज़ा की आवश्यकता है?

संपादकीय टिप्पणी: मिलावटखोरी सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह धीमा ज़हर है। जो व्यक्ति नकली हल्दी बनाता है, वह यह नहीं सोचता कि उसकी बनाई हल्दी किसी बच्चे की थाली में जाएगी, किसी बीमार की दाल में जाएगी।

खाद्य विभाग की यह कार्रवाई सराहनीय है, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि -

- ऐसी फैक्ट्रियों पर स्थायी ताला लगे,
- दोषियों पर ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि दूसरा कोई इस तरह का साहस न करे,
- बाज़ार में बिकने वाले मसालों की नियमित जाँच हो,
- और उपभोक्ता भी जागरूक बनें।

जनहित में सावधानी - उपभोक्ता क्या करें?

- मसाले खरीदते समय उत्पाद की गुणवत्ता, एफएसएसएआई लाइसेंस और पैकिंग की जाँच अवश्य करें।
- बहुत अधिक चटक रंग वाली हल्दी से सावधान रहें। असली हल्दी का रंग प्राकृतिक और हल्का पीला होता है।
- बिना ब्रांड, खुले और सस्ते दाम पर बिकने वाले मसालों से बचें।
- किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की शिकायत खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर या स्थानीय खाद्य कार्यालय में अवश्य दर्ज कराएँ।

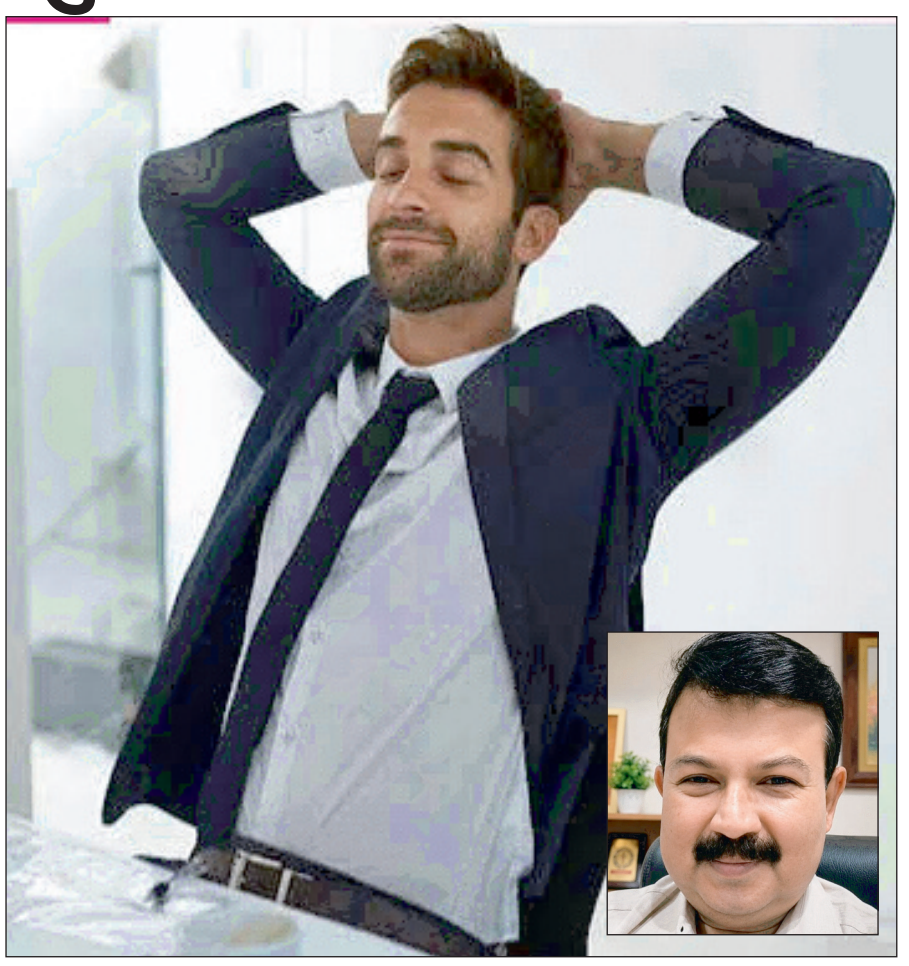
निष्कर्ष: रायबरेली - कानपुर का यह मामला हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है - आज मिलावट सिर्फ हल्दी तक सीमित नहीं है, यह हमारी थाली के हर कोने तक पहुँचने की कोशिश कर रही है।

इसलिए केवल विभाग की कार्रवाई ही काफी नहीं है, जनता की जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब उपभोक्ता जागरूक होगा, तो मिलावटखोरों का धंधा अपने आप बंद होगा।

परिवहन विशेष परिवार की ओर से सभी पाठकों से अपील है - शुद्ध खाइए, सुरक्षित रहिए, और मिलावट के विरुद्ध आवाज़ उठाइए।



तनाव मुक्त जीवन, खुशहाल भविष्य :- डॉ रुप



परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुख-सुविधाओं के बीच मानसिक शांति कहीं खोती जा रही है। 4 नवंबर को 'राष्ट्रीय तनाव जागरूकता दिवस' के अवसर पर विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि तनाव केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि गंभीर शारीरिक बीमारियों की जड़ भी है। इस संबंध में होमियोपैथिक चिकित्सक डॉ रुप कुमार बनर्जी ने बताया कि तनाव दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके लक्षण स्पष्ट होते हैं। मानसिक रूप से बेचैनी, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी, जबकि शारीरिक रूप से सिरदर्द, थकान और मांसपेशियों में खिंचाव इसके प्रमुख संकेत हैं।

यदि समय रहते इन पर ध्यान न दिया जाए, तो यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। उन्होंने बताया कि तनाव मुक्ति के लिए प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट ध्यान लगाएं। रोजाना 30 मिनट की सैर ऊर्जा बढ़ाती है। 7 से 9 घंटे की गहरी नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। पौष्टिक भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन करें। स्वयं और दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें न पालें। बीते कल की चिंता छोड़ आज का आनंद लें। अपनों से मन की बात साझा करें। संगीत, बागवानी या अपनी पसंद के कार्यों के लिए समय निकालें।सोशल मीडिया और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बचें। जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने में संकोच न करें। होमियोपैथिक चिकित्सक डा रुप कुमार बनर्जी ने बताया कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि अनुभवों का एक नया अध्याय है। बुजुर्गों को अकेलापन महसूस करने के बजाय अपनी रुचियों को फिर से जीवित करना चाहिए। उनका अनुभव परिवार की शक्ति है और उनकी मुस्कान घर की सबसे बड़ी पूंजी। तनाव मुक्त जीवन की शुरुआत स्वयं को प्रेम करने और वर्तमान क्षण को सार्थक बनाने से होती है। आइए, इस तनाव जागरूकता दिवस पर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संकल्प लें।

धनतेरस, आस्था, संस्कृति और आरोग्यता का महापर्व

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा मध्य प्रदेश



आदाब और नमस्कार !

दीपावली के ठीक पहले आने वाला पावन पर्व धनतेरस केवल सोने-चांदी, बर्तन या खरीदारी का ही त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी गहरी आस्था, अटूट निष्ठा, प्रेम, संस्कारों, संस्कृति और आपसी भाईचारे का जीवंत अहसास है। भारतीय परिवेश और ग्रामीण-शहरी ताने-बाने में यह पर्व रिश्तों की गर्माहट और जीवन में आरोग्यता का संदेश लेकर आता है।

भारतीय संस्कृति में हर पर्व के पीछे कोई न कोई गहरा सामाजिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक संदेश छिपा होता है। दीपावली के पावन पर्व की श्रृंखला का शुभारंभ जिस पर्व से होता है, वह है, धनतेरस (धनत्रयोदशी)। यह सिर्फ़ भौतिक सुख-सुविधाओं और धन-धान्य की कामना का दिन नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि, संतोष और स्वास्थ्य का उत्सव है।

हमारे गाँवों और छोटे कस्बों से लेकर महानगरों तक, धनतेरस की रौनक़ देखते ही बनती है। खेतों में लहलहाती फसलें और घरों के आँगन में उत्सव की तैयारी, भारतीय परिवेश में यह पर्व परिवार के साथ जुड़ने का माध्यम है।

परंपरा और उल्लास, इस दिन घरों की लिपाई-पुताई, साफ़-सफ़ाई और रंगोली सजाने का कार्य इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

बर्तन और खरीदारी का शगुन, भले ही आज आधुनिक युग में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हों, लेकिन धनतेरस के दिन बाज़ार जाकर पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तन खरीदना, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई छोटी-सी वस्तु घर लाना आज भी हमारे संस्कारों का हिस्सा है। यह परंपरा इस बात को दर्शाती है कि हम अपनी पुरानी जड़ों और संस्कृति से मजबूती से जुड़े हुए हैं।

धनतेरस के दिन केवल कुबेर जी की ही नहीं, बल्कि भगवान धनवंतरी की पूजा का भी विशेष विधान है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे।

स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते रहे हैं, "पहला सुख निरोगी काया।" भगवान धनवंतरी इस बात के प्रतीक हैं कि भौतिक धन का कोई मूल्य नहीं यदि मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक न हो।

यह पर्व हमें यह सिखाता है कि असली धन सोना-चांदी नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और सुसंस्कृत आचरण है।

धनतेरस की शाम जब घर के मुख्य द्वार पर और आँगन में यमराज के निमित्त दीपक (दीया) जलाया जाता है, तो वह केवल प्रकाश का प्रसार नहीं होता, बल्कि वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति और परिवार की लंबी उम्र की प्रार्थना होती है।

इस दिन जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर दीप जलाते हैं, एक-दूसरे को शुभकामनाएँ देते हैं, तो यह आपसी प्रेम, मेल-जोल और भाईचारे के बंधन को और मजबूत करता है।

पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ मिठाई बाँटना, एक-दूसरे के घर जाकर कुशलक्षेम पूछना, यह हमारी उस साझी संस्कृति की बानगी है जो हमें अकेलेपन से निकालकर एक विशाल परिवार का हिस्सा होने का अहसास कराती है।

धनतेरस हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल भौतिक सफ़लताओं की दौड़ नहीं है, बल्कि यह संवेदनाओं, परंपराओं और एक-दूसरे के प्रति प्रेम का उत्सव है। जब हम संस्कृति की इस डोर को थामे रखते हैं, तो हमारे संस्कार जीवित रहते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपनी मिट्टी से जुड़ी रहती हैं।

इस धनतेरस, आइए हम संकल्प लें कि हम केवल अपने घरों में ही दीये नहीं जलाएंगे, बल्कि अपनों के दिलों में भी प्रेम और भाईचारे का प्रकाश फैलाएंगे।



धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मज़बूत बनाइए रिश्ते

05 नवंबर 2026 | दिन का अंक: 8 — महत्वाकांक्षा, अधिकार, धन, अनुशासन और भौतिक उपलब्धि

मूलांक 1

धन व करियर: दिन का अंक 8 आपकी नेतृत्व ऊर्जा में महत्वाकांक्षा, अधिकार और धन पर फोकस बढ़ाता है। किसी महत्वपूर्ण पेशेवर विषय की जिम्मेदारी लें, लेकिन निर्णय अहंकार के बजाय आंकड़ों और दीर्घकालिक मूल्य पर आधारित रखें।
रिश्ते: दो मजबूत व्यक्तित्वों में नियंत्रण को लेकर टकराव हो सकता है। सम्मान के साथ नेतृत्व करें और सामने वाले की प्राथमिकताओं के लिए भी जगह रखें।
सावधानी: अहंकार की लड़ाई, प्रतिष्ठा दिखाने के खर्च और केवल आत्मविश्वास साबित करने के लिए आर्थिक जोखिम से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अधिकार का जिम्मेदारी से उपयोग करें और एक आर्थिक रूप से अनुशासित निर्णय लें।

मूलांक 2

धन व करियर: दिन 8 आपकी संवेदनशील प्रकृति को धन और जिम्मेदारी के मामले में अधिक व्यावहारिक बनने को कहता है। साझेदारी या आर्थिक बातचीत तब आगे बढ़ेगी जब भावनाओं और तथ्यों को अलग रखा जाए।
रिश्ते: दूसरे व्यक्ति की अपेक्षाओं का दबाव महसूस हो सकता है। जरूरत से ज्यादा झुकने या चुप रहने के बजाय अपनी जरूरत शांति से बताएं।
सावधानी: भावनात्मक खर्च, डर में निर्णय और शांति बनाए रखने के लिए आर्थिक नियंत्रण छोड़ने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: संवेदनशीलता के साथ दृढ़ता रखें और धन या जिम्मेदारी से जुड़ा एक विषय स्पष्ट करें।

मूलांक 3

धन व करियर: दिन 8 आपकी रचनात्मकता और संवाद को व्यवसायिक दिशा देता है। परिणाम प्रस्तुत करें, अपनी कीमत पर बातचीत करें या काम का प्रचार आत्मविश्वास से करें, लेकिन हर दावे के पीछे व्यावहारिक आंकड़े रखें।
रिश्ते: आज आपके शब्दों में विशेष प्रभाव हो सकता है। खासकर धन या जिम्मेदारी की बातचीत में उनका उपयोग दबाव बनाने के बजाय प्रोत्साहन के लिए करें।
सावधानी: बढ़ा-चढ़ाकर बोलने, दिखावे के महंगे खर्च और अनिश्चित आय पर आधारित वादों से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अपनी योग्यता स्पष्ट बताएं और एक विचार को मापने योग्य परिणाम में बदलें।

मूलांक 4

धन व करियर: दिन 8 आपकी व्यवस्थित प्रकृति के साथ सिस्टम, बजट, प्रॉपर्टी, अनुपालन और दीर्घकालिक योजना के लिए अच्छा मेल बनाता है। लचीलापन बनाए रखने पर निरंतर प्रयास ठोस प्रगति दे सकता है।
रिश्ते: जिम्मेदारियां बातचीत का मुख्य विषय बन सकती हैं। रिश्ते को नियमों की सूची बनाने के बजाय कामों का उचित बंटवारा करें।
सावधानी: कठोरता, निराशावाद और गलती के डर से हर विवरण नियंत्रित करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक आर्थिक या पेशेवर सिस्टम मजबूत करें और एक जिम्मेदारी समझदारी से बांटें।

मूलांक 5

धन व करियर: दिन 8 आपकी तेज ऊर्जा को आर्थिक रणनीति के साथ चलने को कहता है। बातचीत और व्यवसायिक अवसर लाभ दे सकते हैं, लेकिन धन लगाने या दिशा बदलने से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें।
रिश्ते: स्वतंत्रता और नियंत्रण संवेदनशील विषय बन सकते हैं। खासकर साझा धन या जिम्मेदारियों से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता रखें।
सावधानी: जोखिमपूर्ण डील, अचानक खरीदारी और कमजोर योजना की भरपाई केवल तेजी से हो जाएगी ऐसा मानने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अपनी अनुकूलता को स्पष्ट आंकड़ों और सीमाओं वाले एक अवसर पर केंद्रित करें।

मूलांक 6

धन व करियर: दिन 8 आपकी आराम और रिश्तों पर केंद्रित प्रकृति में मजबूत भौतिक फोकस लाता है। क्लाइंट, लग्जरी सेक्टर या पारिवारिक धन से जुड़े काम लाभ दे सकते हैं, लेकिन दिखावे से पहले लाभप्रदता देखें।
रिश्ते: सुरक्षा और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हैं, लेकिन धन को प्रेम का माप न बनने दें। व्यावहारिक सहयोग के साथ अपनी उपस्थिति और समय भी दें।
सावधानी: विलासिता पर अधिक खर्च, अधिकार भावना और सामंजस्य की छवि बनाए रखने के लिए आर्थिक बोझ लेने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अधिकता के बजाय गुणवत्ता चुनें और ऐसा निर्णय लें जो सुरक्षा व जुड़ाव दोनों मजबूत करे।

मूलांक 7

धन व करियर: दिन 8 आपकी विश्लेषणात्मक प्रकृति पर व्यावहारिक दबाव बढ़ाता है। निवेश, कॉन्ट्रैक्ट या करियर रणनीति की अच्छी तरह जांच करें और समझ को स्पष्ट, मापने योग्य निर्णय में बदलें।
रिश्ते: व्यावहारिक दबाव बढ़ने पर आप शांत हो सकते हैं। चुप्पी को भावनात्मक दूरी बनने देने के बजाय बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं।
सावधानी: संदेह, अत्यधिक विश्लेषण के कारण निर्णय रुकना और गुप्त आर्थिक फैसलों से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: शोध को एक ठोस कदम का आधार बनाएं और अपनी सोच स्पष्ट रूप से साझा करें।

मूलांक 8

धन व करियर: आपके मूलांक 8 और दिन के अंक 8 की ऊर्जा एक-दूसरे को बहुत मजबूत करती है। महत्वाकांक्षा, अनुशासन, अधिकार, धन प्रबंधन और कर्मिक जिम्मेदारी प्रमुख रहेंगे। निष्पक्षता और धैर्य के साथ गंभीर व्यवसायिक निर्णयों के लिए श्रेष्ठ दिन है।
रिश्ते: नियंत्रण, प्रतिबद्धता या साझा जिम्मेदारियों को लेकर तीव्रता बढ़ सकती है। अधिकार से अधिक सम्मान और न्यायपूर्ण रवैया निकटता को सुरक्षित रखेगा।
सावधानी: शक्ति संघर्ष, काम में अत्यधिक डूबना, कठोर निर्णय और महत्वाकांक्षा में उच्च जोखिम वाले आर्थिक कदम से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: शक्ति का ईमानदारी से उपयोग करें और एक दीर्घकालिक आर्थिक आधार मजबूत करें।

मूलांक 9

धन व करियर: दिन 8 आपकी उदार प्रकृति को संरचना और भौतिक फोकस देता है। दायित्व पूरे करें, बकाया राशि पर ध्यान दें और संसाधनों को ऐसे लक्ष्य में लगाएं जिसका टिकाऊ मूल्य हो।
रिश्ते: आप दूसरों की रक्षा या मदद करना चाह सकते हैं, लेकिन सहयोग नियंत्रण में न बदले। अपनों को अपने चुनावों की जिम्मेदारी साझा करने दें।
सावधानी: अपराधबोध में खर्च, बार-बार आर्थिक बचाव और उदारता की प्रशंसा न मिलने पर क्रोध से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: सीमाओं के साथ सहयोग दें और एक लंबित आर्थिक या पेशेवर विषय पूरा करें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes
Vediccodes - Your vibrations... our solutions

संजय की तीसरी आँख :- व्यंग्य - शुभ-लाभ भी महंगे, स्वागत भी महंगा!



(संजय एम तराणेकर)

एक आम आदमी की दीपावली यानि खर्चों की फेहरिस्त का जुबां की तरह लम्बी होना। ये घर का मुखिया ही जानता हैं कि उसे किस मद में कटोती करनी है और किसमे नहीं? दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक दिखाई देने लगती है। घरों की साफ-सफाई से लेकर सजावट तक हर तरफ उत्साह का माहौल रहता है। लेकिन इस बार बाजार ने शुभ-लाभ और स्वागत को भी महंगाई के रंग में रंग दिया है।

कभी घर के दरवाजे पर दस-बीस रुपये में मिलने वाला शुभ-लाभ का प्रतीक अब सौ रुपये तक पहुंच गया है। बंदनवार के दाम 80 से लेकर 1400 रुपये तक सुनकर लगता है कि लक्ष्मीजी के स्वागत के लिए अब जेब में भी कुबेर का खजाना होना चाहिए। ऊपर से ओम, स्वास्तिक, श्री यंत्र और कलश जैसे शुभ प्रतीकों के भाव भी आसमान छू रहे हैं।

अब तो आम आदमी सोचने लगा है कि घर में लक्ष्मीजी का स्वागत करें या पहले दुकानदार की लक्ष्मी का ख्याल रखें? महंगाई का आलम यह है कि शुभ-लाभ खरीदने से पहले भी आदमी को अपना बजट देखना पड़ रहा है। लगता है कि बाजार ने शुभ को भी प्रीमियम और लाभ को भी महंगे पैकेज में बेचने का फैसला कर लिया है।

मजेदार बात यह है कि बाजार में ग्राहक कम हैं, लेकिन उम्मीदें बड़ी हैं। दुकानदारों को लगता है कि दीपावली पर लोग दिल खोलकर खरीदारी करेंगे। मगर ग्राहक भी अब समझदार हो गया है। वह बंदनवार देखकर घर की चौखट नापता है और कीमत सुनकर अपनी जेब की औकात।

अब तो लगता है कि आने वाले समय में दुकानदार शुभ-लाभ के साथ एक चेतावनी भी टांग देंगे— 'सावधान! यहां शुभ भी महंगा है और लाभ भी आपकी जेब देखकर मिलेगा।'

वैसे लक्ष्मीजी से हमारी प्रार्थना है कि इस बार घर में भले ही सादा बंदनवार लगे, लेकिन महंगाई की बंदनवार जरूर उतार दीजिए। आखिर आम आदमी को भी कभी तो सच्चे शुभ-लाभ का अनुभव तो हो!

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

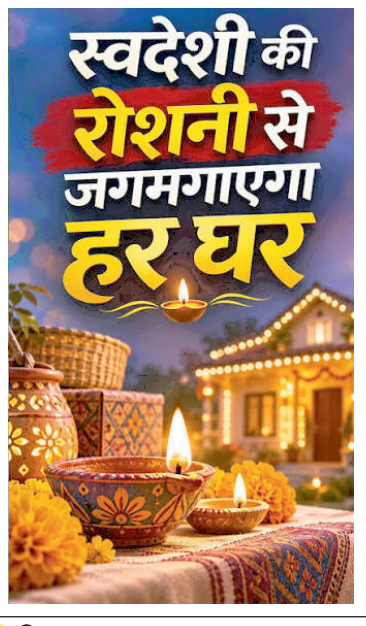
आओ, किसी के घर का भी दिया जलाएँ!

यह दीपावली का पर्व है, खुशियों का पैगाम लाएँ,
अपने घर के साथ, किसी का 'घर' भी जगमगाएँ।
मिट्टी के दीपक जलाकर, अंधियारे को दूर भगाएँ,
अभावों में जीते हैं, उनके जीवन में 'उजास' लाएँ।

किसी के घर में मिठाई हो, किसी के घर पकवान,
नए कपड़ों की खुशियाँ, कहीं खाली पड़े अरमान।
किसी के आँगन रौनक, किसी की आँखों में नमी,
आओ बाँटें प्यार का दीपक, मिट जाए हर बेबसी।

ये आवश्यक नहीं कि लाखों के हम उपहार खरीदें,
न महँगी झालरें लाएँ, न सोने-चाँदी से भवन भरें।
एक दीप व थोड़ी मिठाई, कुछ कपड़ों का उपहार,
किसी जरूरतमंद के चेहरे पर ला सकता है बहार।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)



"धनतेरस" भगवान धनवंतरी, आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक और जगत के चिकित्सक हैं।

डॉ. आरज़ू अहमद शाह
मगरधा मध्य प्रदेश



दीपावली के उल्लास की अगवानी करता पावन पर्व धनतेरस (धनत्रयोदशी) मात्र भौतिक वैभव, स्वर्ण-रजत या बर्तन खरीदने का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारी अगाध आस्था, सनातन निष्ठा, शाश्वत संस्कृति और उस दिव्य परंपरा का जीवंत अहसास है, जो जीवन को आरोग्य और प्रेम के सूत्र में पिरोती है। भारतीय परिवेश विशेषकर हमारे गाँवों और कस्बों के आत्मीय ताने-बाने में यह पर्व रिश्तों की गर्माहट और जीवन के परम सत्य यानी आरोग्यता का संदेश लेकर आता है।

हमारे आँगन में जब धनतेरस की बेला आती है, तो यह केवल बाज़ार की चहल-पहल नहीं होती, बल्कि यह घर-परिवार के जुड़ाव का उत्सव होता है।

साफ़-सफाई और नव-सृजन, घरों की लिपाई-पुताई, स्वच्छ आँगन और द्वार पर सजती रंगोली इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और पवित्रता का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं।

परंपरा की जीवंतता, सामर्थ्य के अनुसार तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र खरीदना इस बात का प्रमाण है कि हम आधुनिकता की दौड़ में भी अपनी मिट्टी और जड़ों से मज़बूती से जुड़े हुए हैं। यह भारतीय संस्कृति का वह सहज़ सौंदर्य है जो हर वस्तु को एक संस्कार में बदल देता है।

धनतेरस का यह पावन पर्व मूल रूप से भगवान धनवंतरी को समर्पित है। पुराणों के अनुसार, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे।

आरोग्य ही परम धन है, लोक-व्यवहार में हम भले ही 'धन' का अर्थ मुद्रा या स्वर्ण मान लें, किंतु भारतीय मनीषा ने हमेशा यह स्वीकारा है कि 'पहला सुख निरोगी काया'। भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक और जगत के चिकित्सक हैं। उनके हाथ में मौजूद अमृत कलश इस शाश्वत सत्य की घोषणा करता है कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन आरोग्यता और स्वस्थ प्राण-शक्ति है।

चिकित्सा और करुणा की साधना,, यह दिन उन सभी चिकित्सकों, वैद्यों और प्राण-रक्षकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी अवसर है, जो सेवा-भाव से मानवता के कष्टों का निवारण करते हैं।

धनतेरस की संध्या जब यमराज के निमित्त और घर के द्वारों पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, तो वह केवल तिमिर को मिटाने का उपक्रम नहीं होता, वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति और परिवार की दीर्घायु की मंगलकामना होती है।

जब परिवार के सभी जन मिलकर दीपमाला सजाते हैं, एक-दूसरे को आरोग्यता की शुभकामनाएँ देते हैं, तो यह आत्मीयता आपसी प्रेम और भाईचारे के बंधन को प्रगाढ़ करती है।

पड़ोसियों और अपनों के साथ स्नेह साझा करना हमें यह अहसास कराता है कि सुख केवल अकेले भोगने में नहीं, बल्कि बाँटने में है।

धनतेरस हमें यह बोध कराता है कि हमारा जीवन मात्र भौतिक सफलताओं और उपभोग की दौड़ नहीं है, बल्कि यह संवेदनाओं, संस्कृति और स्वास्थ्य का उत्सव है। भगवान धनवंतरी की अनुकंपा से हमारे जीवन में न केवल अन्न-धन का विस्तार हो, बल्कि शरीर निरोगी हो और मन में करुणा व प्रेम का प्रकाश सदैव जगमगाता रहे।

इस धनतेरस, आइए हम केवल दीप ही न जलाएं, बल्कि हर सुसंस्कृत मन में आरोग्यता, सेवा और भाईचारे का संकल्प भी प्रज्वलित करें।

गुड गवर्नेंस अवार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 25 तक होंगे नामांकन : डीसी

सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान, 51 हजार रुपये तक की नकद राशि

परिवहन विशेष न्यूज

डीसी वर्षा खांगवाल ने जिलाभर के पात्र अधिकारियों-कर्मचारियों से बढ़चढ़कर आवेदन के लिए किया प्रेरित

झज्जर, 04 नवंबर

हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, नवाचार और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 (हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026) अधिसूचित की है।पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत असाधारण एवं नवाचार पूर्ण कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार राज्य स्तर और जिला स्तर पर प्रदान किए जाएंगे।

डीसी वर्षा खांगवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के अनुसार, राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को 51,000 रुपये प्रति सदस्य तथा जिला स्तर पर चयनित कर्मचारियों को 31,000 रुपये प्रति सदस्य नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

डीसी ने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के तहत राज्य स्तर पर दो श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार शामिल हैं। दोनों श्रेणियों में अधिकतम पांच-पांच पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे। राज्य स्तर के पुरस्कार विजेताओं को 51,000 रुपये प्रति सदस्य की दर से नकद राशि मिलेगी। साथ ही, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रशस्ति पत्र की प्रति संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से कर्मचारी की सर्विस बुक में भी रखी जा सकेगी।

जिला स्तर पर भी होंगे सम्मानित

डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि जिला स्तर पर प्रत्येक जिला में अधिकतम पांच पुरस्कार दिए जा सकेंगे। इन पुरस्कारों के तहत चयनित कर्मचारियों को 31,000 रुपये प्रति सदस्य नकद राशि, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जिला स्तर के पुरस्कारों के लिए प्रशस्ति पत्र संबंधित मंडलायुक्त द्वारा जारी किया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त की सिफारिश आवश्यक होगी। पुरस्कारों की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।

चार कर्मचारियों की टीम भी कर सकेगी आवेदन

डीसी ने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के तहत कोई कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम चार सदस्यों की टीम के रूप में आवेदन कर सकता है। टीम के प्रत्येक सदस्य को सम्मान राशि प्रदान की जाएगी, चाहे उसका पद या रैंक कुछ भी हो। इस योजना का लाभ हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक प्राधिकरणों, मिशन, समितियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें ग्रुप-ए, बी, सी और डी के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा अधिसूचना में निर्धारित विभिन्न माध्यमों से नियुक्त संविदात्मक कर्मचारियों को भी पात्रता दी गई है।

1 जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक के कार्यों पर होगा विचार

हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के तहत पुरस्कारों के लिए कर्मचारियों के प्रदर्शन की मूल्यांकन अवधि 1 जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और योजनाओं के प्रभाव के आधार पर आवेदनों पर विचार किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। राज्य स्तर और जिला स्तर के पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन अधिमानतः 15 दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

पुरस्कार के लिए आवेदन निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। आवेदन का लिंक haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in है। आवेदन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से आगे बढ़ाया



जाएगा। विभागाध्यक्ष अपनी विस्तृत टिप्पणी के साथ आवेदन संबंधित प्रशासनिक सचिव को भेजेंगे। इसके बाद प्रशासनिक सचिव अपनी टिप्पणी और सिफारिश सहित आवेदन को सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राज्य स्तर पर पुरस्कारों के लिए आवेदन सीधे सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। संबंधित प्रशासनिक सचिव विभागाध्यक्षों से परामर्श करके पात्र कर्मचारियों या टीमों के नामों की सिफारिश भी कर सकेंगे।

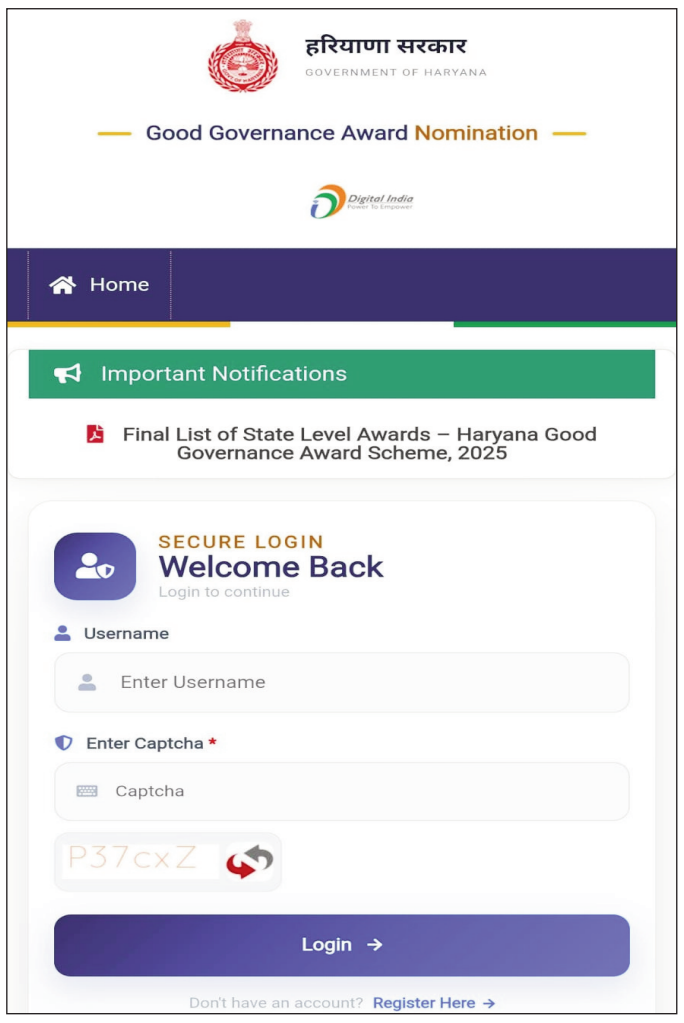
आवेदन के साथ देने होंगे ये जरूरी दस्तावेज

आवेदकों को अपने आवेदन के साथ अधिकतम 200 शब्दों का परियोजना विवरण देना होगा। इसमें संबंधित कार्यक्रम या पहल, क्रियान्वयन की रणनीति, कार्यान्वयन अवधि, उल्लेखनीय उपलब्धियां, परिणाम, सकारात्मक प्रभाव, विस्तार की संभावनाएं और स्थायित्व का उल्लेख करना होगा। इसके अतिरिक्त अधिकतम 10 स्लाइड की पावरपॉइंट प्रस्तुति, कर्मचारी का नाम, पदनाम, तैनाती का स्थान तथा एचआरएमएस के अनुसार पेयी कोड देना अनिवार्य होगा।

ये समितियां करेंगी प्राप्त आवेदनों की गहनता से जांच

डीसी ने बताया कि राज्य स्तर के पुरस्कारों के लिए सरकार द्वारा गठित सशक्त समिति आवेदनों की समीक्षा कर पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश करेगी। अंतिम स्वीकृति हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय सशक्त समिति आवेदनों पर विचार करेगी। इस समिति में पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), अतिरिक्त उपायुक्त और अध्यक्ष द्वारा सहयोजित अन्य अधिकारी शामिल हो सकेंगे।

डीसी ने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बेहतर प्रशासन, नवाचार, पारदर्शिता और जनहित में प्रभावी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से प्रदेश में सुशासन की संस्कृति मजबूत होगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।



सामाजिक दायित्व निभाते हुए जनहित में सक्रिय भागीदार बनें उद्यमी : डीसी



डीसी वर्षा खांगवाल ने बहादुरगढ़ में उद्यमियों के साथ बैठक में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में सहभागी बनने का किया आह्वान

परिवहन विशेष न्यूज

बहादुरगढ़, 04 नवंबर

औद्योगिक नगरी बहादुरगढ़ क्षेत्र के समग्र विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से डीसी वर्षा खांगवाल ने बुधवार को बहादुरगढ़ नगर परिषद सभागार में स्थानीय उद्यमियों के साथ बैठक की। उन्होंने उद्योगपतियों से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से विकास एवं जनकल्याण से जुड़े कार्यों में सहयोग करने का आह्वान किया। नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने डीसी वर्षा खांगवाल का स्वागत किया।

बैठक में डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि उद्योग जगत सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि जो जरूरतमंद व्यक्ति किसी कारणवश सरकारी योजनाओं में कवर नहीं हो पाते, ऐसे जरूरतमंदों की तत्काल मदद सीएसआर के तहत सम्भव है।

डीसी ने कहा कि सीएसआर फंड के माध्यम से शिक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता तथा अन्य जनहितकारी कार्यों को गति दी जा सकती है। उद्योगपति अपने संस्थानों के सामाजिक दायित्व के तहत ऐसे कार्यों में आगे आकर सहयोग करें, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन और उद्योग जगत के आपसी समन्वय से विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

जनकल्याण से जुड़े कार्यों में उद्योग जगत की भागीदारी जरूरी

डीसी वर्षा खांगवाल ने उद्योगपतियों से कहा कि वे अपने आसपास के क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीएसआर गतिविधियों के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान करें। प्रशासन की ओर से भी जनहित से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक समन्वय एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक विकास में उद्योगपतियों की सहभागिता से क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

इस अवसर पर एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एमएसएमई अधिकारी संजीत कौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं क्षेत्र के उद्योगपति मौजूद रहे।

जनसहयोग से ही प्रदूषण मुक्त होगा जिला : डीसी

खुले में कचरा जलाने वालों की अब खैर नहीं, प्रदूषण फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा- वायु प्रदूषण रोकने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, नियम तोड़ने वालों पर रहेगी प्रशासन की नजर धान कटाई के पीक सीजन में पराली प्रबंधन अनिवार्य, किसान फसल अवशेष न जलाएं



बहादुरगढ़, 04 नवंबर।

एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीसी वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट किया कि खुले में कचरा जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आमजन और किसानों को आगाह करते हुए कहा कि धान कटाई के पीक सीजन में पराली प्रबंधन के निर्धारित उपाय अपनाएं और ठोस कचरे को खुले में जलाने से पूरी तरह परहेज करें। डीसी ने नगर परिषद बहादुरगढ़ सभागार में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

डीसी ने कहा कि खुले में कचरा जलाना पर्यावरण के साथ-साथ आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। कचरा जलने से निकलने वाला जहरीला धुआं वातावरण में हानिकारक गैसें और सूक्ष्म कण फैलाता है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कचरा जलाकर दूसरों की सेहत को खतरे में न डाले।

प्लास्टिक व ठोस कचरा जलाने पर रोक, उचित निस्तारण करें नागरिक

डीसी ने कहा कि प्लास्टिक सहित अन्य ठोस कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मिट्टी और जल की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नागरिक अपने घरों, दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखें। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को पृथक करें और कचरे के निस्तारण के लिए नगर निकायों की निर्धारित संग्रहण व्यवस्था का उपयोग करें।

धान कटाई सीजन में किसान पराली प्रबंधन को दें प्राथमिकता

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि इन दिनों जिला झज्जर में धान कटाई का कार्य चरम पर है। ऐसे में किसान फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें और पराली जलाने से बचें। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण केवल प्रशासनिक प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए किसानों, आम नागरिकों और सभी संबंधित संस्थानों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

संबंधित विभाग जागरूकता के साथ निगरानी भी बढ़ाएं

डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि खुले में कचरा जलाने की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ कचरे के उचित संग्रहण एवं निस्तारण की व्यवस्था प्रभावी बनाए रखें। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखें और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

डीसी ने आमजन से आह्वान किया कि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से दूर रहें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण प्रत्येक नागरिक का अधिकार है तथा इसकी रक्षा

उपमंडल वासियों की सुविधा के लिए जनसुनवाई करने बहादुरगढ़ पहुंची डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने बहादुरगढ़ लघु सचिवालय स्थित कैंप कार्यालय में की जनसुनवाई, नागरिकों की समस्याएं सुन अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

बहादुरगढ़, 04 नवंबर

नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना और उनकी समस्याओं का घर-द्वार के नजदीक त्वरित समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के तहत डीसी वर्षा खांगवाल बुधवार को बहादुरगढ़ स्थित लघु सचिवालय के कैंप कार्यालय पहुंचीं और जनसुनवाई के माध्यम से क्षेत्र के नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए नियमानुसार एवं निर्धारित समय-सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए।

डीसी ने कहा कि बहादुरगढ़ उपमंडल के नागरिकों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय झज्जर के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रशासन उनके क्षेत्र में ही जनसुनवाई की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और प्रत्येक शिकायत पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जाए।

विभागीय समन्वय से दूर होंगी लोगों की समस्याएं

जनसुनवाई के दौरान बहादुरगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं डीसी के समक्ष रखीं। डीसी ने प्रत्येक शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल और विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने की हिदायत देते हुए कहा कि जिन शिकायतों के समाधान में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, उनमें सभी संबंधित विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। शिकायतों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजने के बजाय उनके समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि लोगों को समय रहते राहत मिल सके।



जनसुनवाई से प्रशासन और जनता के बीच मजबूत हो रहा संवाद

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपनी बात सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर देना और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। अधिकारियों को जनहित को सर्वोपरि रखते हुए संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी अधिकारी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनका समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करें।

शहरवासियों ने जताया प्रशासन का आभार

बहादुरगढ़ में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिकों ने डीसी वर्षा खांगवाल द्वारा उनके क्षेत्र में पहुंचकर समस्याएं सुनने की पहल की सराहना की। लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन की इस व्यवस्था से उन्हें अपनी समस्याएं सीधे उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने और उनके समाधान के लिए सुविधा मिल रही है। इससे समय की बचत होने के साथ-साथ जिला मुख्यालय तक आने-जाने की परेशानी भी कम हो रही है।

यह अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, तहसीलदार सुदेश मेहरा सहित भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा, संयोजक संजीव सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बाल महोत्सव के दूसरे दिन बच्चों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग

कला, नृत्य और रचनात्मकता का दिखा शानदार संगम

बाल भवन में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग, शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा

झज्जर, 4 नवंबर

डीसी एवं जिला बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में चार दिवसीय जिला स्तरीय बाल महोत्सव के दूसरे दिन बाल भवन परिसर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और कला कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। नृत्य, संगीत, लेखन, चित्रकला और अभिनय सहित विभिन्न विधाओं में बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

दूसरे दिन बुधवार को कार्यक्रम का शुभारंभ जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने किया। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर संजय शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी अक्षमा व निर्णायक मंडल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

महोत्सव के दूसरे दिन बेस्ट ड्रामेबाज, हिंदी एवं अंग्रेजी हैंडराइटिंग, स्केच ऑन द स्पॉट, पोस्टर मेकिंग, ग्रुप डांस, सोलो डांस, क्ले मॉडलिंग, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, क्लासिकल सोलो डांस, पैट्रियोटिक ग्रुप सॉन्ग और मेहंदी रचाओ सहित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हैंडराइटिंग प्रतियोगिता के दूसरे ग्रुप के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के दौरान बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता, कलात्मक अभिव्यक्ति, नृत्य, संगीत और लेखन कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। बच्चों के आत्मविश्वास और हुनर ने बाल महोत्सव के माहौल को उत्साह और उमंग से भर दिया।

बच्चों को प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करना ही उद्देश्य : सुरेखा

जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा हुड्डा ने सभी प्रतिभागियों, निर्णायक मंडल के सदस्यों और आयोजन में सहयोग देने वाली टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बाल भवन बच्चों की छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार के आयोजन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक होते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि महोत्सव के आगामी दिनों में भी बच्चे इसी उत्साह और उमंग के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर नीरज भगत, नरीश कुमार, सुमिता देवी, राकेश चावला, सोनम, पिंकी, धर्मवीर, अनुपम, राहुल, पंकज कुमार, किरण कुमार वशिष्ठ, राखी, बबीता, अनूप, मुकेश कुमार, मोनिका, अरविंद, प्रदीप कुमार, नरुत्तम, ईश्वर, चेतना, दलवंती, जसवंती, डॉ. महावीर और निशा सहित गतिविधियों से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अग्निवीरों को बड़ा तोहफा - 4 साल की जगह 6 साल नौकरी, बेहतर रिकॉर्ड पर नौकरी परमानेंट

अग्निवीरों का कार्यकाल 2 साल बढ़ा, अब 6 साल सर्विस - CDS बोले, बेहतर परफॉर्मेंस पर नौकरी परमानेंट होगी

देश में करीब 3 .18 लाख अग्निवीर - योजना में बड़ा बदलाव, युवाओं के भविष्य को नई दिशा

*प्रस्तुतकर्ता: पिंकी कुंडू | सामाजिक परामर्शदाता

प्रस्तावना: देश के युवाओं के लिए सेना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव करते हुए कार्यकाल को 4 साल से बढ़ाकर 6 साल करने का ऐलान हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने कहा है कि बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर रिकॉर्ड वाले अग्निवीरों की नौकरी परमानेंट की जाएगी। यह फैसला लाखों युवाओं के लिए सिर्फ नौकरी का विस्तार नहीं, बल्कि उनके भविष्य, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा भरोसे का संदेश है।

मुख्य तथ्य - क्या बदला ?

1. कार्यकाल में विस्तार:

पहले - 4 साल की सेवा

अब - 6 साल की सेवा, यानी 2 साल की बढ़ोतरी

2. परमानेंट का रास्ता साफ:

CDS के अनुसार, जो अग्निवीर अनुशासन, प्रशिक्षण, फिटनेस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और आचरण में बेहतर साबित होंगे, उन्हें नियमित सेवा (Permanent) में रखने पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब सिर्फ समय पूरा करना काफी नहीं, प्रदर्शन ही स्थायित्व तय करेगा।

3. संख्या: देश में वर्तमान में करीब 3.18 लाख अग्निवीर विभिन्न सेनाओं में सेवा दे रहे हैं। इस बदलाव का सीधा असर इन्हीं जवानों और आने वाले बैचों पर पड़ेगा।

4. क्यों जरूरी था बदलाव ?

- 4 साल में प्रशिक्षण के बाद जवान को पूरी तरह तैयार होने में ही समय लग जाता था।

- यूनिट्स को बार-बार नए जवानों को ट्रेन करने का दबाव था।

- युवाओं में भविष्य को लेकर असुरक्षा और आक्रोश था।

- 6 साल से सेना को अनुभवी, प्रशिक्षित और ऑपरेशनल रूप से मजबूत जवान मिलेंगे।

अग्निवीर योजना क्या है ? - संक्षिप्त पृष्ठभूमि अग्निपथ योजना जून 2022 में शुरू हुई। इसके तहत थल सेना, वायु सेना और नौसेना में 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को अग्निवीर के रूप में भर्ती किया गया। पहले 4 साल की सेवा, फिर 25% को नियमित सेवा में रखने का प्रावधान था। अब 6 साल के विस्तार से यह ढांचा और मजबूत होगा।

संवैधानिक, कानूनी और नीतिगत विश्लेषण:

A. संवैधानिक आधार:

- अनुच्छेद 16 - अवसर की समानता: सरकारी सेवा में भर्ती में सभी को समान अवसर। परफॉर्मेंस आधारित स्थायीकरण इसी सिद्धांत को मजबूत करता है।

- अनुच्छेद 19(1)(g) - व्यवसाय का अधिकार: सेना में सेवा देशसेवा के साथ-साथ रोजगार का भी अधिकार है।

- अनुच्छेद 21 - जीवन और गरिमा का अधिकार: सुरक्षित भविष्य, सम्मानजनक सेवा और आर्थिक सुरक्षा इसी अधिकार का हिस्सा है।

- अनुच्छेद 33: संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति - अनुशासन और कर्तव्य की गरिमा के लिए।

- अनुच्छेद 51A - मौलिक कर्तव्य: देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना हर नागरिक का कर्तव्य है।

B. कानून, नियम और अधिनियम:

- Army Act, 1950, Navy Act, 1957, Air Force Act, 1950: तीनों सेनाओं में भर्ती, सेवा शर्तें और अनुशासन इन्हीं अधिनियमों से संचालित।

- Agnipath Scheme - 2022, MoD Policy Guidelines: अग्निवीरों की भर्ती, वेतन, सेवा निधि पैकेज, बीमा और स्थायीकरण के नियम इन्हीं दिशा-निर्देशों से तय।

- Seva Nidhi Package: 6 साल की सेवा के बाद एकमुश्त राशि, कौशल प्रमाणपत्र और पुनर्वास सहायता का प्रावधान और मजबूत होगा।

- Reservation / आरक्षण: केंद्र और कई राज्यों ने अग्निवीरों को पुलिस, CAPF, अन्य सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया है।

C. न्यायिक दृष्टिकोण:

- दिल्ली हाईकोर्ट 2023 - अग्निपथ योजना को चुनौती: कोर्ट ने योजना को संवैधानिक और नीतिगत रूप से सही ठहराया, कहा - राष्ट्रीय सुरक्षा और युवा सेना के लिए नीति बनाना सरकार का अधिकार।

- सुप्रीम कोर्ट: अग्निपथ पर दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर ही केंद्रित रखा, योजना में हस्तक्षेप से इनकार। कोर्ट का रुख - सेना की जरूरत और नीतिगत निर्णय में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित।

सेना, युवा और समाज पर प्रभाव:

1. युवाओं के लिए: नौकरी में 2 साल ज्यादा = ज्यादा वेतन, ज्यादा अनुभव, ज्यादा सेविंग, परमानेंट होने का ज्यादा मौका। गांव-कस्बों के युवाओं में सेना के प्रति भरोसा बढ़ेगा।

2. सेना के लिए: लंबी सेवा से यूनिट्स में स्थिरता, प्रशिक्षित जवानों की उपलब्धता, ऑपरेशनल तैयारी मजबूत होगी।

3. समाज के लिए: अनुशासित, प्रशिक्षित और देशभक्त युवाओं की एक बड़ी फौज समाज में वापस आएगी - जो पुलिस, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में भी काम आएगी।

चुनौतियां और सवाल - जिन पर ध्यान जरूरी:

- परमानेंट का प्रतिशत कितना होगा ? 25% ही रहेगा या बढ़ेगा ? इस पर स्पष्ट SOP आना बाकी।

- परफॉर्मेंस का मापदंड क्या होगा ? पारदर्शी मूल्यांकन व्यवस्था जरूरी, ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो।

- 6 साल बाद जो बाहर आएंगे, उनके पुनर्वास, कौशल और नौकरी का क्या प्लान होगा ?

- वेतन, पेंशन, चिकित्सा सुविधा और शहीद होने पर परिवार को मिलने वाली सुविधाओं पर स्पष्टता जरूरी।

निष्कर्ष: यह बदलाव सिर्फ 2 साल का विस्तार नहीं है, यह भरोसे का विस्तार है। सरकार और सेना ने युवाओं की आवाज सुनी है। अब जरूरत है कि इस फैसले को पारदर्शी नियमों, स्पष्ट मूल्यांकन और मजबूत पुनर्वास नीति के साथ लागू किया जाए।

अग्निवीर सिर्फ एक नौकरी नहीं, देश की रक्षा की पहली पंक्ति है। उनका भविष्य सुरक्षित होगा, तभी देश की सीमा सुरक्षित होगी।

जय हिंद - जय अग्निवीर





एएसडीसी और डेमलर की पहल

चार राज्यों के 240 युवाओं को भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) और भारतबेंज ट्रक व बस बनाने वाली कंपनी डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (डीआईसीवी) ने 240 युवाओं को भारी कमर्शियल व्हीकल चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए साझेदारी की है। सीएसआर के तहत शुरू किए गए इस कार्यक्रम में असम, महाराष्ट्र, झारखंड और आंध्र प्रदेश के युवाओं को शामिल किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य से 60 उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में कक्षा में पढ़ाई, वाहन चलाने का व्यावहारिक अभ्यास और सिम्युलेटर के माध्यम से प्रशिक्षण शामिल होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को पेशेवर चालक के रूप में तैयार करना और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने, स्किल असेसमेंट (कौशल मूल्यांकन) और रोजगार दिलाने में सहायता दी जाएगी। डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्रशिक्षण, रहने, भोजन, लाइसेंस, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन और बीमा की व्यवस्था करेगा। कार्यक्रम के तहत सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी से वाहन चलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एएसडीसी के चेयरपर्सन विंकेश गुलाटी ने कहा कि कुशल कमर्शियल व्हीकल चालक देश की परिवहन व्यवस्था और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चालकों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग तकनीकों का प्रशिक्षण देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी के माध्यम से 240 युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रमाणन और रोजगार सहायता देकर पेशेवर चालक बनने का अवसर मिलेगा।

डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ टॉर्स्टन श्मिट ने कहा कि चालक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे देशभर में सामान की आवाजाही और लोगों के बीच संपर्क बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से युवाओं को रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी और जिम्मेदार ड्राइविंग तथा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। एएसडीसी उद्योग से संपर्क स्थापित करने और रोजगार दिलाने में सहायता करेगा। नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों की रोजगार स्थिति पर नज़र रखने के लिए नियुक्ति के बाद तीन महीने तक उनका फॉलो-अप भी किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य



ज़रा इन दूरियों को... बढ़कर तो गले लगाइए

दूरी बिछड़ना नहीं, यादों में बस जाना है - अनामिका गुप्ता की कविता में विरह भी मुहब्बत बन जाता है

प्रस्तुतकर्ता विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- कविता का नाम: ज़रा इन दूरियों को.....
- रचनाकार: अनामिका गुप्ता
- विधा: हिंदी कविता - विरह, प्रेम और स्मृति
- मुख्य भाव: दूरी अंत नहीं, प्रेम की गहराई की परीक्षा है
- संदेश: दूरियों से दूरियाँ न बढ़ाइए, उन्हें गले लगाइए
- प्रस्तुति: मूल रूप में, संपादकीय टिप्पणी सहित मूल कविता

ज़रा इन दूरियों को.....
तुमसे दूर गर.....
..... कोई चला जाता है
या यूं करिए कि बिछड़ जाता है
चाहने वाला कब कोई
..... जाता है दूर....
वो तो बस ... बसता है यादों में
धड़कता है दिल में
बहता है रगों में.... जुनून बनकर
किसी का हमसफ़र
... किसी का सुकून बनकर
ये जो दूरियाँ है ना
..... सिखाती हैं तड़पना
सिखाती हैं धड़कना...
तो..... ::::
इन दूरियों से दूरियां कैसीं
इन दूरियों से दूरियां न बढ़ाइए
..... सिखाती हैं कद्र
बढ़ाती हैं मुहब्बत.....

ज़रा इन दूरियों को
बढ़कर तो गले लगाइए
- अनामिका गुप्ता

संपादकीय विश्लेषण - मुख्य बिंदु

क. बिछड़ना और दूर जाना - दो अलग बातें: कवयित्री की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उन्होंने बिछड़ने को दूर जाने से अलग कर दिया है। कोई चला जाए, इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूर हो गया। चाहने वाला कभी दूर जाता ही नहीं। वह यादों में बस जाता है।

ख. प्रेम का नया पता - याद, दिल और रगें: कविता में प्रेमी का पता अब घर नहीं, यादें हैं। वह धड़कता है दिल में, बहता है रगों में, जुनून बनकर। किसी के लिए हमसफ़र बनकर, किसी के लिए सुकून बनकर। यह प्रेम की सबसे गहरी परिभाषा है - जो दिखाई न दे, फिर भी हर जगह मौजूद हो।

ग. दूरियाँ - शिक्षक बनकर: आमतौर पर हम दूरियों को दुश्मन मानते हैं। कवयित्री कहती हैं - ये दूरियाँ ही सिखाती हैं तड़पना, सिखाती हैं धड़कना। तड़प ही तो प्रेम की पहचान है। जो तड़पा नहीं, उसने चाहा ही नहीं। दूरी हमें प्रेम की कद्र करना सिखाती है।

घ. कद्र और मुहब्बत का संबंध: दूरी जब बढ़ती है, तो मुहब्बत कम नहीं होती, बढ़ती है। पास रहने पर हम एक-दूसरे को सामान्य मान लेते हैं। दूर जाने पर ही समझ आता है कि वह व्यक्ति हमारे लिए कितना ज़रूरी था। यही कद्र है, यही मुहब्बत है।

ङ. अंतिम अपील - दूरियों से भागिए नहीं, गले लगाइए: कविता का अंत किसी शिकायत पर नहीं, एक सुलह पर होता है। कवयित्री कहती हैं - इन दूरियों से दूरियाँ न बढ़ाइए। ज़रा इन दूरियों को बढ़कर तो गले लगाइए।

यानी दूरी को कोसिए नहीं, उसे स्वीकार कीजिए। वही दूरी एक दिन मिलन की मिठास को और बढ़ा देगी।

संपादकीय टिप्पणी

आज के समय में जब रिश्ते एक संदेश पर टूट जाते हैं और एक कॉल पर बन जाते हैं, तब अनामिका गुप्ता की यह कविता हमें ठहरना सिखाती है। दूरी का अर्थ टूटना नहीं होता। कभी-कभी दूरी ही रिश्ते को बचाती है, उसे गहरा करती है। जो सच में अपना है, वह दूर जाकर भी दूर नहीं जाता। यह कविता इन सभी प्रेमियों, मित्रों, माता-पिता, भाई-बहन और हमसफ़र के लिए है, जो दूर रहकर भी एक-दूसरे के दिल में धड़कते हैं।

निष्कर्ष

ज़रा इन दूरियों को... केवल एक कविता नहीं है, यह एक जीवन-दर्शन है। दूरी से डरिए नहीं। उसे गले लगाइए। क्योंकि जो दूरियाँ कद्र सिखाती हैं, वही मुहब्बत बढ़ाती हैं। परिवहन विशेष परिवार की ओर से रचनाकार अनामिका गुप्ता को हार्दिक बधाई और सभी पाठकों से अपील - अपने अपनों से दूरियाँ न बढ़ाइए, उन्हें गले लगाइए।



परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - विशेष विश्लेषण - अनुमोदित नतीजे - समाचार छापने तक गिनती चालू

अमेरिकी मिडटर्म में ट्रंप को झटका, डेमोक्रेट्स का कांग्रेस के दोनों सदनों पर कब्जा

महंगाई, टैरिफ और युद्ध बने बड़ा मुद्दा - 2028 की पटकथा अभी से लिखी गई?

लेखक एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया (महाराष्ट्र)

दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के 3 नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनावों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ ला दिया है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है। 321f

AP के अनुसार डेमोक्रेट्स ने हाउस में 218 का आंकड़ा पार किया और सीनेट में 51 सीटों का बहुमत हासिल किया। एक अन्य tally में डेमोक्रेट्स को हाउस में 228 सीटें और सीनेट में 54 सीटें मिली हुई बताई गई हैं। 321f6970

चुनावी गणित - अभी अंतिम नहीं

- प्रतिनिधि सभा (435 सीटें): बहुमत के लिए 218 चाहिए। डेमोक्रेट्स 222-228 के बीच बताए जा रहे हैं, कई सीटों पर गिनती जारी है।

- सीनेट (100 सीटें): बहुमत के लिए 51 चाहिए। डेमोक्रेट्स 53-54 के करीब बताए जा रहे हैं।

> संपादकीय नोट: आपके मूल लेख में 225-137 का आंकड़ा दिया था। AP की live tally में यह 222-138 और Al Jazeera tally में 228 तक दिख रहा है। छापने से पहले अंतिम प्रमाणित आंकड़ा ही लें, क्योंकि शेष सीटों की गिनती जारी है।

अमेरिकी कांग्रेस की तुलना भारत की संसद से की जा सकती है। प्रतिनिधि सभा लोकसभा की तरह है, इसकी सभी 435 सीटों पर हर दो वर्ष में चुनाव होता है। सीनेट राज्यसभा की तरह उच्च सदन है, इसमें 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से दो, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

ट्रंप की हार का मतलब क्या है ? मिडटर्म राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है। ट्रंप का कार्यकाल जनवरी 2029 तक जारी रहेगा। लेकिन अब कानून पारित करना, बजट मंजूर कराना और नियुक्तियां आगे बढ़ाना कठिन होगा।

डेमोक्रेटिक बहुमत वाली समितियां अब प्रशासन के फैसलों, सरकारी खर्च, आव्रजन नीति, व्यापारिक टैरिफ और युद्ध संबंधी निर्णयों की जांच कर सकती हैं। महाभियोग स्वतः नहीं होगा, इसके लिए हाउस में महाभियोग और सीनेट में दो-तिहाई समर्थन जरूरी है।

यह पैटर्न नया नहीं है। पिछले 20 वर्षों में 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के पांचों मिडटर्म में राष्ट्रपति की पार्टी ने हाउस में सीटें गंवाईं।

टैरिफ, वीजा और विदेश नीति पर क्या होगा ?

- टैरिफ: कांग्रेस को व्यापार और आयात शुल्क पर संवैधानिक अधिकार है। डेमोक्रेट्स समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन हर टैरिफ तत्काल समाप्त नहीं होगा।

- आव्रजन / H-1B: भारतीय छात्रों और IT पेशेवरों के लिए अधिक निष्पक्ष नीति की संभावना बन सकती है, लेकिन तत्काल राहत की गारंटी नहीं है।

- विदेश नीति: वेनेजुएला को 51वां राज्य बनाने जैसे बयान वास्तविक नीति नहीं माने जा सकते। कांग्रेस निगरानी बढ़ा सकती है, पर राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां बनी रहेंगी।

ऐतिहासिक जीत - अब्दुल अल-सैयद मिशिगन में 42 वर्षीय डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद (Abdul El-Sayed) ने रिपब्लिकन माइक रोजर्स को हराकर अमेरिकी सीनेट में पहुंचने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति बनने का इतिहास रचा। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, जीवन-यापन की लागत और राजनीति में कॉर्पोरेट धन को अभियान का केंद्र बनाया। d82d

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लिए भी परिणाम महत्वपूर्ण रहे। फ्लोरिडा, वर्जीनिया, मैरीलैंड समेत कई जगह भारतीय मूल के उम्मीदवारों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि पूरी जीत का श्रेय किसी एक समुदाय को देना उचित नहीं होगा, सटीक राष्ट्रीय आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है।

भारत-अमेरिका संबंध और वैश्विक असर भारत के लिए डेमोक्रेटिक कांग्रेस से व्यापार वार्ताओं में अधिक संस्थागत संवाद की संभावना है। रक्षा सहयोग, क्वाड, तकनीक, ऊर्जा और चीन के संदर्भ में रणनीतिक साझेदारी साझा हितों पर आधारित है, इसलिए इसके जारी रहने की संभावना है।

ईरान युद्ध चुनाव का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने हार में ईरान युद्ध की भूमिका स्वीकार की, लेकिन अपने सैन्य निर्णय का बचाव भी किया।

वैश्विक बाजारों में भी हलचल देखी गई। MSCI ऑल-वर्ल्ड इंडेक्स 0.13% ऊपर और चीन के शेयर बेंचमार्क में 2% से ज्यादा उछाल की खबर आई, जो पिछले सात महीनों का सबसे अच्छा दिन बताया गया।

निष्कर्ष: चेतावनी या परीक्षा ? 2026 का मिडटर्म ट्रंप के लिए स्पष्ट राजनीतिक चेतावनी है। मतदाताओं ने महंगाई, युद्ध, आव्रजन और शासन शैली पर नाराजगी व्यक्त की है। डेमोक्रेट्स को अब साबित करना होगा कि बहुमत का उपयोग केवल विरोध के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए होगा।

आने वाले दो वर्ष अमेरिकी लोकतंत्र, भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए निर्णायक होंगे।

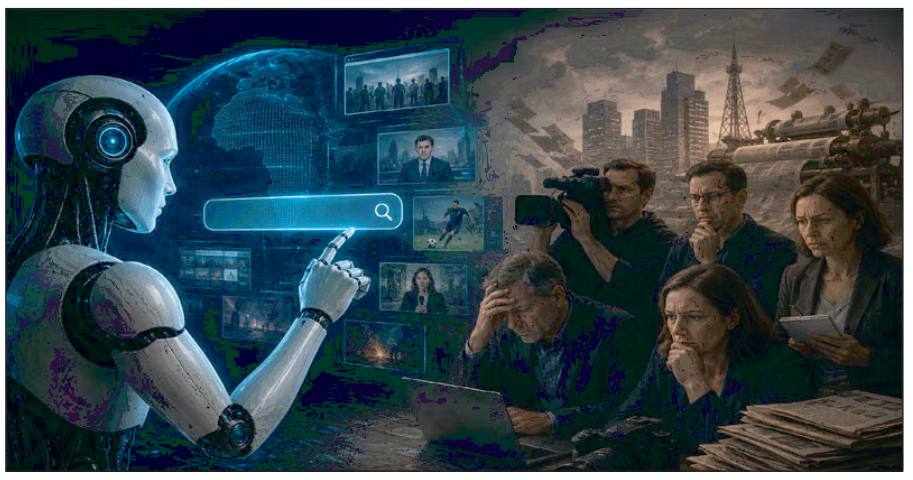


एआई के युग में मीडिया: अवसर, चुनौतियाँ और पत्रकारिता का भविष्य



● डॉ. विजय गर्ग

एआई के युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गलत सूचनाओं का तेजी से प्रसार है। एआई ऐसी वास्तविक दिखने वाली तस्वीरें, वीडियो, आवाजें और समाचार तैयार कर सकती है, जो देखने में असली लगते हैं, लेकिन वास्तव में पूरी तरह बनावटी होते हैं। डीपफेक तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति को ऐसी बात कहते या ऐसा कार्य करते हुए दिखाया जा सकता है, जो उसने कभी किया ही नहीं। ऐसी सामग्री किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है, समाज में तनाव पैदा कर सकती है



आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र को बदल रही है। मीडिया उद्योग भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं है। समाचार एकत्र करने, रिपोर्ट लिखने, वीडियो संपादित करने, जनमत का विश्लेषण करने और पाठकों की रुचि के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने तक, एआई ने सूचना तैयार करने, प्रकाशित करने और लोगों तक पहुँचाने के तरीकों को बदल दिया है। एआई के इस युग ने पत्रकारिता के लिए अनेक नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इसके साथ ही सत्यता, विश्वसनीयता, नैतिकता और मानवीय रचनात्मकता के भविष्य से जुड़े गंभीर प्रश्न भी खड़े किए हैं।

पत्रकारिता का बदलता स्वरूप

परंपरागत रूप से पत्रकारिता समाचार संवाददाताओं, संपादकों, फोटोग्राफरों और मीडिया संस्थानों पर निर्भर करती थी। वे जानकारी एकत्र करते, उसकी पुष्टि करते और फिर उसे जनता तक पहुँचाते थे। आज एआई आधारित उपकरण बड़ी मात्रा में आँकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, समाचारों का सार तैयार कर सकते हैं, लेखों का अनुवाद कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में आकर्षक शीर्षक बनाने में सहायता कर सकते हैं। ये उपकरण ऑडियो और वीडियो सामग्री तैयार करने में भी उपयोगी हैं।

स्वचालित पत्रकारिता के माध्यम से मौसम की जानकारी, खेलों के परिणाम और वित्तीय आँकड़ों जैसी नियमित खबरें तेजी से प्रस्तुत की जा सकती हैं। एआई पत्रकारों को नए रुझानों की पहचान करने, सरकारी आँकड़ों का अध्ययन करने और जटिल मुद्दों की जाँच करने में भी सहायता करती है। इससे समय की बचत होती है और पत्रकार गहन अनुसंधान तथा सार्थक समाचार लेखन पर अधिक ध्यान दे सकते हैं।

मीडिया संस्थानों के लिए नए अवसर

एआई मीडिया उद्योग को अनेक लाभ प्रदान करती है:

1. समाचारों का त्वरित निर्माण: एआई उपकरण तेजी से जानकारी का विश्लेषण करके समाचार रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करते हैं।

2. व्यक्तिगत सामग्री: डिजिटल प्लेटफॉर्म पाठकों की रुचि के अनुसार समाचारों की सिफारिश कर सकते हैं।

3. भाषाई सुलभता: एआई आधारित अनुवाद से समाचार विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचती है।

4. डेटा पत्रकारिता: एआई बड़ी मात्रा में आँकड़ों का विश्लेषण करके ऐसे रुझानों की पहचान कर सकती है, जो सामान्यतः दिखाई नहीं देते।

5. सुलभता में सुधार: आवाज को लिखित रूप में बदलना, लिखित सामग्री को आवाज में परिवर्तित करना और स्वतः उपशीर्षक तैयार करना विभिन्न आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए जानकारी को सुलभ बनाता है।

6. समय और लागत की बचत: स्वचालन से बार-बार किए जाने वाले कार्य कम होते हैं और मीडिया संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ती है।

यदि तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए, तो ये सभी परिवर्तन पत्रकारिता को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं।

फर्जी समाचार और डीपफेक का बढ़ता खतरा

एआई के युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गलत सूचनाओं का तेजी से प्रसार है। एआई ऐसी वास्तविक दिखने वाली तस्वीरें, वीडियो, आवाजें और समाचार तैयार कर सकती है, जो देखने में असली लगते हैं, लेकिन वास्तव में पूरी तरह बनावटी होते हैं। डीपफेक तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति को ऐसी बात कहते या ऐसा कार्य करते हुए दिखाया जा सकता है, जो उसने कभी किया ही नहीं।

ऐसी सामग्री किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है, समाज में तनाव पैदा कर सकती है और जनमत को प्रभावित कर सकती है। चुनावों, आपातकालीन परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के दौरान भ्रामक जानकारी के परिणाम विशेष रूप से गंभीर हो सकते हैं।

सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी के तेजी से फैलने के कारण समाचारों की सत्यता जाँचना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। पाठकों को सनसनीखेज शीर्षकों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, समाचारों के मूल स्रोत की जाँच करनी चाहिए और बिना पुष्टि किए संदेशों को आगे भेजने से बचना चाहिए।

क्या एआई मानव पत्रकारों का स्थान ले सकती है?

एआई पत्रकारों की सहायता कर सकती है, लेकिन पत्रकारिता को सार्थक बनाने वाले मानवीय गुणों का पूरी तरह स्थान नहीं ले सकती। मानव पत्रकारों के पास अनुभव, संवेदनशीलता, जिज्ञासा, विवेक और सामाजिक वास्तविकताओं को समझने की क्षमता होती है।

खोजी पत्रकारिता के लिए साहस, लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, संवेदनशीलता और घटनाओं के मानवीय प्रभावों को समझना आवश्यक होता है। मशीन जानकारी का विश्लेषण कर सकती है, लेकिन पत्रकार की नैतिक जिम्मेदारी का पूरी तरह विकल्प नहीं बन सकती।

इसलिए पत्रकारिता का भविष्य मानवीय बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहयोग पर निर्भर करेगा। जो पत्रकार एआई का प्रभावी उपयोग करना सीखेंगे, वे तेजी से बदलते मीडिया वातावरण में बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे।

एआई आधारित मीडिया में नैतिकता और जिम्मेदारी

मीडिया में एआई का उपयोग मजबूत नैतिक सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। समाचार संस्थानों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब एआई से तैयार की गई सामग्री का उपयोग ऐसे तरीके से किया जाता है, जिससे दर्शक भ्रमित हो सकते हैं, तो उसकी जानकारी दी जाए। विशेष रूप से संवेदनशील समाचारों को प्रकाशित करने से पहले मानव संपादकों द्वारा तथ्यों की पुष्टि आवश्यक है।

मीडिया संस्थानों को व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, कॉपीराइट का सम्मान, एल्गोरिदम से उत्पन्न पक्षपात से बचाव और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरों और वीडियो को वास्तविक घटनाओं के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

तकनीक का उद्देश्य केवल अधिक क्लिक, दर्शक और विज्ञापन से आय बढ़ाना नहीं, बल्कि जनहित की सेवा करना होना चाहिए।

मीडिया साक्षरता की भूमिका

एआई के युग में मीडिया साक्षरता जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल बन गई है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को समझना चाहिए कि डिजिटल जानकारी कैसे तैयार होती है, उसमें किस प्रकार बदलाव किया जा सकता है और वह कैसे प्रसारित होती है।

शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों को फर्जी समाचारों की पहचान करना, बदली हुई तस्वीरों को समझना, सूचना के स्रोतों की पुष्टि करना तथा तथ्यों और विचारों के बीच अंतर करना सिखाना चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन डिजिटल धोखाधड़ी से बचने का सबसे मजबूत साधन है।

माता-पिता और शिक्षकों को युवाओं में सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग की आदत भी विकसित करनी चाहिए। जागरूक समाज दुष्प्रचार और भ्रामक सूचनाओं का कम शिकार होता है।

मीडिया का भविष्य

भविष्य का मीडिया मानवीय रचनात्मकता और एआई तकनीक के समन्वय से विकसित होगा। समाचार कक्ष अनुसंधान, अनुवाद, लिखित सामग्री तैयार करने, संपादन और आँकड़ों के विश्लेषण के लिए बुद्धिमान तकनीकी उपकरणों का अधिक उपयोग करेंगे। वर्चुअल समाचार प्रस्तुतकर्ता, स्वचालित उपशीर्षक और पाठकों की पसंद के अनुसार समाचार उपलब्ध कराने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिक प्रचलित हो सकते हैं।

हालाँकि, मीडिया की सफलता केवल गति और तकनीकी विकास से नहीं मापी जाएगी। इसकी वास्तविक शक्ति विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, सटीकता और जनता के विश्वास पर निर्भर करेगी।

निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न तो पत्रकारिता की दुश्मन है और न ही उसका पूर्ण विकल्प। यह एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। यह मीडिया को तेज, अधिक सुलभ और ज्ञानवर्धक बना सकती है, लेकिन इसका गैर-जिम्मेदाराना उपयोग सच्चाई और जनता के विश्वास को नुकसान पहुँचा सकता है।



दीपावली के बाजारों में चमकती महिला आर्थिक शक्ति



डॉ. विजय गर्ग

दीपावली रोशनी, खुशियों और समृद्धि का त्योहार है। हर वर्ष इस अवसर पर बाजार रंग-बिरंगी सजावट, पारंपरिक दीपों, मिठाइयों, कपड़ों और उपहारों से जगमगा उठते हैं। इस उत्सव की रौनक के पीछे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक कहानी भी उभर रही है। महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और छोटी व्यवसायी महिलाएँ दीपावली के अवसर का उपयोग अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने और परिवारों को सहयोग देने के लिए कर रही हैं।

शहरों और गाँवों में अनेक महिलाएँ हाथ से बनी मोमबत्तियाँ, मिट्टी के दीये, सजावटी वस्तुएँ, रंगोली सामग्री, पारंपरिक मिठाइयाँ, कढ़ाई वाले कपड़े, आभूषण और उपहार पैकेट तैयार करके बेचती हैं। उनकी रचनात्मकता, मेहनत और व्यावसायिक कौशल दीपावली के बाजारों को आय अर्जित करने के महत्वपूर्ण अवसरों में बदल देते हैं।

कई महिलाओं के लिए त्योहारों के दौरान होने वाली बिक्री केवल अस्थायी व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। इससे उन्हें घर के खर्चों में योगदान देने, बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक सुरक्षा बनाने का अवसर मिलता है। छोटी-सी कमाई भी महिलाओं का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और परिवार में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा सकती है।

इस परिवर्तन में स्वयं सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामूहिक रूप से कार्य करके महिलाएँ कच्चा माल खरीद सकती हैं, अपने कौशल साझा कर सकती हैं, नए उत्पाद तैयार कर सकती हैं और अधिक ग्राहकों तक पहुँच सकती हैं। सरकारी योजनाएँ, स्थानीय संस्थाएँ और डिजिटल मंच उन्हें प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता तथा विपणन के बेहतर अवसर प्रदान कर सकते हैं।

सोशल मीडिया और ऑनलाइन बाजारों ने भी महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं। अब वे व्हाट्सऐप, फेसबुक और अन्य डिजिटल माध्यमों से अपने उत्पादों का प्रचार कर सकती हैं तथा अपने आसपास के क्षेत्र से बाहर भी ग्राहकों तक पहुँच सकती हैं। डिजिटल भुगतान ने लेन-देन को आसान बनाया है और छोटे व्यवसायों को अधिक व्यवस्थित करने में सहायता की है।

उपभोक्ताओं की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला उद्यमियों से हस्तनिर्मित वस्तुएँ, स्थानीय सजावटी सामान और पारंपरिक उत्पाद खरीदना सीधे उनके रोजगार और आजीविका को सहयोग देता है। बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तुओं के स्थान पर स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने से पारंपरिक हस्तकलाओं को प्रोत्साहन मिलता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

हालाँकि, महिला उद्यमियों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें पूँजी की कमी, पर्याप्त विपणन सुविधाओं का अभाव, बड़े व्यवसायों से प्रतिस्पर्धा और घरेलू जिम्मेदारियों के साथ व्यवसाय का संतुलन बनाए रखने की कठिनाई शामिल हैं। उन्हें सस्ते ऋण, कौशल विकास, व्यावसायिक मार्गदर्शन, डिजिटल साक्षरता और व्यवस्थित बाजार सुविधाओं की आवश्यकता है।

दीपावली केवल घरों में दीप जलाने और उपहारों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह अवसर समानता, आर्थिक स्वतंत्रता और नए अवसरों का प्रकाश फैलाने का माध्यम भी बनना चाहिए। परिवारों को महिलाओं के व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए और समाज को आर्थिक विकास में उनके योगदान को सम्मान देना चाहिए।

दीपावली की वास्तविक भावना केवल दीपों की चमक में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में आने वाली खुशियों और समृद्धि में निहित है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तो परिवार मजबूत होते हैं, बच्चों को बेहतर अवसर मिलते हैं और समुदाय प्रगति की ओर बढ़ते हैं।

इस दीपावली, आइए महिलाओं की प्रतिभा, मेहनत और उद्यमशीलता का सम्मान करें तथा उनके उत्पादों और व्यवसायों को प्रोत्साहित करें। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना केवल व्यक्तियों की सहायता करना नहीं है, बल्कि परिवारों को मजबूत बनाने, समुदायों को बदलने और एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है।

सेवानिवृत्त प्राचार्य। शिक्षाविद् एवं प्रख्यात वैज्ञानिक स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट, पंजाब –

माँ की समझदारी और घरेलू नुस्खे: बचपन की यादों से आज के विज्ञान तक

डॉ. विजय गर्ग

हमारे बचपन की यादों में माँ का एक विशेष स्थान होता है। घर में किसी को छोटी-मोटी तकलीफ हो, बच्चे को बुखार आ जाए या खेलते समय चोट लग जाए, तो सबसे पहले मुँह से एक ही आवाज़ निकलती थी—"माँ!"

माँ के पास हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता था। उसके पास न तो कोई बड़ी मेडिकल डिग्री थी और न ही आधुनिक चिकित्सा उपकरण, लेकिन अपने अनुभव, निरीक्षण और परिवार की देखभाल के माध्यम से उसने घरेलू जीवन की एक अनोखी समझ विकसित कर ली थी।

घर का छोटा-सा दवाखाना

पुराने समय में दाँतों में दर्द होने पर माँ नमक और सरसों के तेल से मंजन करने की सलाह देती थी। कान में दर्द होने पर गेंदे के पत्तों का ज़िक्र होता था। आँख में कुछ पड़ जाने पर माँ बहुत सावधानी से देखती और सफाई करने का प्रयास करती थी।

छोटी-मोटी फुंसी होने पर नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता था। खेलते समय हल्की चोट लगने पर हल्दी लगाने का रिवाज था। गर्मियों में घमौरियाँ होने पर ठंडक पहुँचाने वाले घरेलू तरीके अपनाए जाते थे।

ये सभी तरीके उस समय के पारिवारिक अनुभवों और लोक-विश्वासों का हिस्सा थे। माँ इन्हें प्यार और चिंता के साथ अपनाती थी। उसका उद्देश्य बच्चे को जल्दी आराम पहुँचाना होता था।

रसोई से मिलती थी स्वास्थ्य की शिक्षा

पुराने घरों की रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं थी, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य और पोषण का केंद्र भी थी। हल्दी, अदरक, लहसुन, जीरा, अजवाइन और तुलसी जैसी चीज़ों का उपयोग रोज़मर्रा के भोजन में किया जाता था।

माँ को पता होता था कि मौसम के अनुसार भोजन में कैसे बदलाव करना है, बच्चों को क्या खिलाना है और बीमारी के दौरान कौन-सा हल्का भोजन देना है। वह बच्चों को समय पर खाना खाने, साफ-सफाई रखने और व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सीख भी देती थी।

माँ की समझदारी के पीछे था अनुभव

माँ की समझदारी केवल घरेलू नुस्खों तक सीमित नहीं थी। वह बच्चे के चेहरे से उसकी उदासी पहचान लेती थी। आवाज़ से थकान और व्यवहार से परेशानी का अंदाज़ा लगा लेती थी।

वह बच्चे को खाना खिलाने के साथ-साथ उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखती थी। कई बार उसकी गोद, प्यार भरे शब्द और सिर पर फेरा गया हाथ ही बच्चे को सुरक्षा और सुकून का एहसास करा देते थे।

यह भावनात्मक सहारा बच्चे के मानसिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।

परंपरा और विज्ञान का संतुलन

आज विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। हमें अपनी पुरानी परंपराओं और घरेलू अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हर पुराना नुस्खा सुरक्षित या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं होता।

उदाहरण के लिए, कान में पत्तों का रस डालना, आँख में घरेलू चीज़ों का उपयोग करना या खुले घाव पर राख लगाना संक्रमण और अन्य नुकसान का कारण बन सकता है। धतूरे जैसे पौधे जहरीले भी हो सकते हैं। इसी तरह छोटे बच्चों के शरीर की मालिश या गर्दन और पेट की समस्याओं का उपचार बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं करना चाहिए।

हमें माँ के प्यार, अनुभव और देखभाल की भावना को अपनाना चाहिए, लेकिन उपचार के मामले में आधुनिक विज्ञान और योग्य चिकित्सक की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए।

समय बदल गया, लेकिन माँ का महत्व नहीं

आज घरों में दवाइयों, डॉक्टरों, अस्पतालों और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ गई है। लेकिन माँ की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वह बच्चों के स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छता, शिक्षा और भावनात्मक विकास का ध्यान रखती है।

हमें यह भी समझना चाहिए कि माँ का स्वास्थ्य, आराम और देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है, जितनी वह अपने परिवार की करती है।

अंततः, माँ की सबसे बड़ी दवा उसका प्यार, धैर्य और असीम ममता है। उसके घरेलू नुस्खों से जुड़ी यादें हमारे बचपन की अनमोल विरासत हैं। समय बदल सकता है, उपचार के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन माँ की ममता और उसकी समझदारी का महत्व कभी कम नहीं हो सकता।

माँ केवल घर की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि प्यार, धैर्य, अनुभव और जीवन की सबसे पहली शिक्षिका होती है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। प्रख्यात वैज्ञानिक स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब – 152107

हमारी खुशी, बेजुबानों की तकलीफ: दीपावली के पटाखों का पक्षियों और जानवरों पर प्रभाव

डॉ. विजय गर्ग

दीपावली रोशनी, खुशी, प्रेम और आपसी सद्भाव का त्योहार है। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और निराशा से आशा की ओर बढ़ने का संदेश देता है। लेकिन समय के साथ दीपावली मनाने के तरीकों में कई बदलाव आए हैं। पटाखे जलाना इस त्योहार का एक ऐसा हिस्सा बन गया है, जिससे मनुष्यों के साथ-साथ पक्षियों, जानवरों और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुँचता है।

हम अपनी खुशी के लिए पटाखे जलाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इनकी तेज आवाज और धुएँ से बेजुबान जीवों पर क्या बीतती होगी? जो जीव अपनी तकलीफ को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी पीड़ा को समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

पटाखों का शोर और पक्षियों की दुनिया

पक्षियों की सुनने की क्षमता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पटाखों की अचानक और तेज आवाज उनमें भय और घबराहट पैदा करती है। कई पक्षी अपने घोंसलों और रात में आराम करने के स्थानों को छोड़कर उड़ जाते हैं। अंधेरे में घबराहट के कारण वे पेड़ों, इमारतों या बिजली की तारों से टकरा सकते हैं।

लगातार शोर के कारण पक्षियों की नींद, आराम, आपसी संचार और प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं। विशेष रूप से छोटे पक्षियों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पक्षियों के लिए पटाखों का शोर अत्यधिक तनावपूर्ण हो सकता है।

पालतू और आवारा जानवरों की परेशानी

कुत्ते, बिल्लियाँ और अन्य जानवर पटाखों की तेज आवाज से बहुत डरते हैं। उनकी सुनने की क्षमता मनुष्यों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। इस कारण पटाखों के धमाके उनके लिए अत्यधिक परेशानी और तनाव का कारण बन सकते हैं।

कई कुत्ते डरकर घरों से बाहर भाग जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। कुछ जानवर लगातार काँपते रहते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं या बेचैनी दिखाते हैं। आवारा जानवरों के पास तो सुरक्षित स्थान भी नहीं होता। वे सड़कों, खाली प्लॉटों और दुकानों के बाहर भय के वातावरण में रहने के लिए मजबूर होते हैं।

वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव

पटाखों के धुएँ में बारीक कण और विभिन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनके कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसका प्रभाव मनुष्यों के साथ-साथ पक्षियों और जानवरों की श्वसन प्रणाली पर भी पड़ता है।

धुएँ और प्रदूषित हवा के कारण साँस लेने में कठिनाई, आँखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। छोटे जीवों और पहले से कमजोर जानवरों के लिए यह खतरा और भी अधिक हो सकता है।

प्रकाश प्रदूषण भी चिंता का विषय

दीपावली के दौरान पटाखों की तेज चमक और अचानक होने वाली रोशनी भी पक्षियों के प्राकृतिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। कई पक्षियों की नींद और दिशा पहचानने की क्षमता प्राकृतिक प्रकाश चक्र से जुड़ी होती है। अनावश्यक तेज रोशनी उनके आराम और व्यवहार में बाधा डाल सकती है।

हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएँ?

दीपावली को खुशहाल और जीव-मित्र त्योहार बनाने के लिए हमें कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए।

1. पटाखे जलाने से परहेज करें और दीयों, मोमबत्तियों तथा सुरक्षित सजावटी लाइटों से दीपावली मनाएँ।

2. अपने घरों के पालतू जानवरों को शोर से दूर किसी सुरक्षित और शांत स्थान पर रखें।

3. आवारा कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों के लिए सुरक्षित स्थान तथा पानी की व्यवस्था करें।

4. पक्षियों के घोंसलों और पेड़ों के आसपास पटाखे न जलाएँ।

5. बच्चों को समझाएँ कि जानवरों को डराना मनोरंजन नहीं, बल्कि उनके प्रति क्रूरता है।

6. पटाखों से घायल किसी पक्षी या जानवर को देखने पर पशु चिकित्सक अथवा स्थानीय पशु सेवा संस्था की सहायता लें।

7. समाज में पर्यावरण-मित्र और जीव-मित्र दीपावली मनाने के प्रति जागरूकता फैलाएँ।

बच्चों में दया और संवेदनशीलता का विकास

दीपावली केवल घरों को सजाने और मिठाइयाँ बाँटने का अवसर नहीं है, बल्कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने का भी समय है। माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों को समझाना चाहिए कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। पक्षियों को दाना-पानी देना, जानवरों से प्रेम करना और पर्यावरण की रक्षा करना सच्ची मानवता के प्रतीक हैं।

हमें बच्चों में यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हमारी खुशी किसी दूसरे जीव के दुख का कारण नहीं बननी चाहिए।

निष्कर्ष: सच्ची दीपावली वही, जो सभी के लिए खुशियाँ लाए

त्योहारों का वास्तविक उद्देश्य प्रेम, शांति, सद्भाव और खुशियाँ बाँटना है। यदि हमारी खुशी के कारण पक्षी अपने घोंसलों से डरकर उड़ें, जानवर घबराकर इधर-उधर भागें और पर्यावरण प्रदूषित हो, तो हमें अपनी खुशी मनाने के तरीके पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

दीपावली का वास्तविक प्रकाश पटाखों के धमाकों में नहीं, बल्कि दिलों में प्रेम, दया और मानवता के दीप जलाने में है। आइए, इस दीपावली हम ऐसा संकल्प लें कि हमारी खुशी किसी बेजुबान जीव की तकलीफ का कारण न बने।

आइए, पटाखों के बिना दीपावली मनाएँ और मनुष्यों के साथ-साथ पक्षियों तथा जानवरों के लिए भी खुशियों से भरी दुनिया बनाएँ।

डॉ. विजय गर्ग

सेवानिवृत्त प्राचार्य। प्रख्यात वैज्ञानिक स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब –

कोइड़ा में फ्लाई ऐश का अवैध डंपिंग! सैकड़ों ट्रक काली राख से प्रदूषित हो रही जमीन, पानी और हवा



पड़ोसी जिले के औद्योगिक संयंत्र से कचरा लाकर खुले में डालने का आरोप; ग्रामीणों में आक्रोश, तहसीलदार का 48 घंटे में जांच और कार्रवाई का भरोसा

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र बणई/कोइड़ा



औद्योगिक विकास की कीमत यदि स्थानीय पर्यावरण और आम लोगों के स्वास्थ्य को चुकानी पड़े, तो यह विकास नहीं बल्कि गंभीर पर्यावरणीय संकट है। सुंदरगढ़ जिले के कोइड़ा तहसील अंतर्गत धुबलबेड़ा गांव के निकट काशिरा से कादोडीहा मार्ग पर कथित रूप से सैकड़ों ट्रक फ्लाई ऐश (काली राख) जमा किए जाने का मामला सामने आया है। सड़क किनारे राख के विशाल ढेर पर्यावरणीय चिंता के साथ प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, पड़ोसी क्योंझर जिले के एक औद्योगिक संयंत्र से ट्रकों के जरिए फ्लाई ऐश लाकर कोइड़ा क्षेत्र में डंप की जा रही है। इससे आसपास की जमीन, जलस्रोत और वायु प्रदूषित होने की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों को चिंता है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य के साथ मवेशियों और कृषि भूमि पर भी पड़ सकता है।

तस्वीरें केवल राख के ढेर नहीं, पर्यावरणीय निगरानी की चुनौती भी दिखाती हैं।

कानून और पर्यावरणीय नियम क्या कहते हैं? केंद्र सरकार की 31 दिसंबर 2021 की फ्लाई ऐश उपयोग अधिसूचना के अनुसार, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को राख का पर्यावरण-अनुकूल तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके परिवहन, भंडारण और निस्तारण में वायु एवं जल प्रदूषण रोकने के सभी आवश्यक उपाय करना अनिवार्य है। निचले इलाकों में राख भरने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति भी आवश्यक है। निगरानी की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ जिला प्रशासन की भी है।

48 घंटे में कार्रवाई का भरोसा, अब प्रशासन की परीक्षा मामले को लेकर कोइड़ा तहसीलदार टिंकय दास ने बताया है कि अगले 48 घंटे के भीतर शिकायत की सत्यता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय समाचार रिपोर्ट में पड़ोसी क्योंझर जिले के बड़बिल तहसील प्रशासन के एक निर्देश का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार औद्योगिक कचरे अथवा काली राख को जमीन पर अनधिकृत रूप से डालना दंडनीय बताया गया है।

अब प्रशासन के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं :

*** राख किस औद्योगिक संयंत्र से लाई जा रही है ?**

* परिवहन करने वाली गाड़ियों के पास वैध दस्तावेज और अनुमति है या नहीं ?

* डंपिंग स्थल के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति ली गई है या नहीं ?

* पर्यावरण को हुए संभावित नुकसान का वैज्ञानिक आकलन कौन करेगा ?

कोइड़ा जैसे खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तहसीलदार का 48 घंटे में जांच का आश्वासन स्वागतयोग्य है, लेकिन जनता को केवल आश्वासन नहीं, कार्रवाई का परिणाम चाहिए।

आखिर औद्योगिक कचरे का बोझ स्थानीय ग्रामीणों की जमीन, पानी और सांसों पर क्यों पड़े ?

अब निगाहें जिला प्रशासन, खनन विभाग और ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर टिकी हैं। 48 घंटे बाद यह स्पष्ट होना चाहिए कि राख के इन ढेरों के पीछे की वास्तविकता क्या है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हुई।

बारिश ने खोली सड़कों की पोल, ADM राउरकेला मैदान में उतरे ; 40 वार्डों का निरीक्षण, दंडियापाली की तस्वीर भी देखना जरूरी





नागरिक शिकायतों पर प्रशासन की सक्रियता सराहनीय, लेकिन करोड़ों के टेंडर के बाद भी जमीनी हकीकत पर उठ रहे सवाल

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

भारी बारिश के बाद शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति ने एक बार फिर राउरकेला नगर निगम की शहरी विकास व्यवस्था और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, इस बीच RMC के कमिश्नर-सह-ADM राउरकेला की सक्रियता और स्वयं मैदान में उतरकर नागरिक समस्याओं का जायजा लेने की पहल उम्मीद जगाती है।

निरीक्षण की प्रमुख बातें :

* 40 वार्डों का जायजाः ADM राहुल किला द्वारा नगर निगम के सभी 40 वार्डों में सड़कों, नालियों और अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है।

* सिविल टाउनशिप का दौराः निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें और समस्याएं सुनीं।

* अधिकारियों को निर्देशः क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने तथा लंबित ड्रेनेज कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया।

* जनता को राहत की उम्मीदः बारिश के बाद जलभराव, सड़क क्षति और आवागमन की परेशानी से जूझ रहे लोगों को प्रशासन की इस पहल से राहत की उम्मीद है।

ADM राउरकेला का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय से निकलकर जनता के बीच पहुंचना सुशासन की महत्वपूर्ण पहचान है। लेकिन निरीक्षण की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब शिकायतों का समाधान धरातल पर दिखाई दे।

दंडियापाली : विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी शहर के दंडियापाली जैसे इलाकों की स्थिति भी प्रशासन के विशेष संज्ञान में आनी चाहिए। यहां सड़क, जलनिकासी और बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये के टेंडर आवंटित किए जाने के बावजूद यदि स्थानीय स्तर पर बदहाली दिखाई देती है, तो यह केवल बारिश से हुई क्षति का मामला नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी और जवाबदेही का भी विषय है।

दंडियापाली की तस्वीरें प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कागजों पर स्वीकृत योजनाओं और जनता को वास्तव में मिलने वाली सुविधाओं के बीच कितना अंतर रह गया है। सवाल यह भी है कि जिन कार्यों पर सरकारी धन खर्च हुआ, उनका स्थायी लाभ स्थानीय नागरिकों को क्यों नहीं मिल पा रहा है ?

अब निरीक्षण के साथ जवाबदेही भी जरूरी ADM राउरकेला से अपेक्षा है कि वे दंडियापाली सहित ऐसे सभी प्रभावित क्षेत्रों का भी स्थलीय निरीक्षण कराएं, जहां करोड़ों की परियोजनाओं के बावजूद सड़क और ड्रेनेज की समस्याएं बनी हुई हैं।

* निर्माण कार्यों का तकनीकी ऑडिट कराया जाए।

* ठेकेदारों के कार्यों की गुणवत्ता की जांच हो।

* दोषपूर्ण निर्माण पर जिम्मेदारी तय की जाए।

* मरम्मत के बजाय स्थायी समाधान को प्राथमिकता मिले।

शहर को केवल बारिश के बाद गड्ढे भरने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि ऐसी मजबूत सड़कें और जलनिकासी व्यवस्था चाहिए, जो अगली बारिश में फिर प्रशासन की परीक्षा न लें।

ADM की सक्रियता स्वागतयोग्य है, लेकिन जनता अब निरीक्षण की तस्वीरों से आगे बढ़कर परिणाम देखना चाहती है। प्रशासन की असली सफलता तब होगी, जब दंडापाली की तस्वीर बदलेगी और शहर के प्रत्येक वार्ड में विकास जमीन पर नजर आएगा।

केजीएमयू में धर्मांतरण एवं लव जिहाद के दोषियों को मिले मृत्यु दंड - गोपाल राय





लखनऊ में धर्मांतरण नेटवर्क के विरोध में काशी से विश्व हिन्दू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष राय के नेतृत्व में उठी आवाज

केजीएमयू में हिन्दू युवतियों को छल, शोषण और लव जिहाद का निशाना बनाना अत्यंत शर्मनाक,योगी सरकार से आग्रह कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए

(संतोष कुमार सिंह)

वाराणसी :- लखनऊ में धर्मांतरण नेटवर्क, व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से युवतियों से संपर्क,प्रेम संबंधों की आड़ में धर्म परिवर्तन के प्रयास तथा केजीएमयू जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर सामने आए समाचार अत्यंत गंभीर और चिंताजनक हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस पर कड़ी निंदा करता है और मामले की निष्पक्ष,पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच की मांग करता है। विश्व हिन्दू रक्षा परिषद की वाराणसी की टीम अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष राय के नेतृत्व में वाराणसी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में केजीएमयू में लव जिहाद के मुद्दे पर निशाना बनाया गया। हिन्दू युवतियों को प्रेम,विवाह,नौकरी, आर्थिक सहायता अथवा किसी अन्य प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया जा रहा है ऐसा कृत्य घोर निंदनीय है। हिन्दु बहन बेटियों की आस्था,स्वतंत्रता और गरिमा के साथ छल करना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। हिन्दू बहन- बेटियों को निशाना बनाने वाले इन जिहादियों का खात्मा जरूरी है सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप के माध्यम से युवतियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें शिकार बनानें तथा धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना बहुत बड़ा अपराध है। इसमें संलिप्त पाए जाने वाले जेहादियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाए।

विश्व हिन्दू रक्षा परिषद चिकित्सा संस्थानों की आड़ में हो रहे जेहादियों गतिविधियां बर्दाश्त नहीं करेगी। विश्व हिन्दू रक्षा परिषद मांग करता है कि केजीएमयू जैसे संस्थानों में जिहादी नेटवर्क की भूमिका की गहनता से जांच हो। किसी भी पद, पेशे या प्रभाव के कारण जेहादियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उक्त अवसर संगठन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश व जिला स्तर के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे ।।

इस धनतेरस स्वास्थ्य में निवेश परिवार की सबसे बड़ी समृद्धि धनतेरस पर सोने-चांदी से आगे बढ़कर स्वास्थ्य में करें निवेश- श्री प्रतापराव जाधव





"शुभं करोति कल्याणम्-आरोग्यं धनसंपदा।"

(संतोष कुमार सिंह)

वाराणसी :- प्रतापराव जाधव केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने अपने लेखनी मे बताया की संस्कृत की प्रार्थना के ये परिचित शब्द हमारी परंपराओं में स्वास्थ्य,कल्याण और समृद्धि के गहरे संबंध को बड़ी सुंदरता से व्यक्त करते हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति से नहीं,बल्कि हमारे अपनों के स्वास्थ्य और खुशहाली से भी मापी जाती है। हर वर्ष धनतेरस के आते ही हमारे घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं घरों की साफ-सफाई और सजावट होती है,बाजारों में उत्सव का उल्लास दिखाई देता है और लोग समृद्धि के प्रतीक के रूप में नई वस्तुएं खरीदते हैं इन उत्सवों के बीच मेरे मन में अक्सर एक सरल-सा प्रश्न उठता है कि जब हम अपने परिवार के समृद्ध भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए इतनी तैयारियां करते हैं तो उनके स्वास्थ्य की रक्षा पर कितना ध्यान देते हैं ?

हम भविष्य के लिए बचत करते हैं अपनी संपत्ति का बीमा कराते हैं और आर्थिक निवेश की योजनाएं बनाते हैं लेकिन जिन आदतों पर हमारे आने वाले वर्षों का स्वास्थ्य निर्भर करता है उन पर अक्सर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। समय पर भोजन न करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है,पर्याप्त नींद न लेना व्यस्त जीवन की पहचान समझी जाने लगती है और स्वास्थ्य जांच तब तक टाल दी जाती है जब तक कोई परेशानी गंभीर रूप नहीं ले लेती। धनतेरस हमें अपनी इन प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने का अवसर देता है।

धनतेरस का आयुर्वेद के साथ विशेष संबंध है यह पर्व भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य से जुड़ा है जिन्हें देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक के रूप में पूजा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर उनका प्रकट होना स्वास्थ्य और दीर्घायु की मानवता की चिरकालिक आकांक्षा का प्रतीक है यही संबंध धनतेरस को सोने,चांदी या घरेलू वस्तुओं की खरीदारी से कहीं अधिक व्यापक अर्थ प्रदान करता हैयह हमें याद दिलाता है कि समृद्धि का वास्तविक आनंद तभी है जब हमारे पास उसे अनुभव करने और अपने प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य हो।

आयुष तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाते हुए मैं अपने दैनिक जीवन में इस संदेश के महत्व को भली-भांति समझता हूं। स्वास्थ्य को लेकर हमारी बातचीत अक्सर तब शुरू होती है जब बीमारी हमारे जीवन में दस्तक दे चुकी होती है हम अस्पतालों,दवाओं और उपचार की चर्चा करते हैं जो निस्संदेह आवश्यक हैं लेकिन एक उतनी ही महत्वपूर्ण बातचीत इससे बहुत पहले शुरू होनी चाहिए,हमारे घरों,रसोईघरों,कार्यस्थलों और रोजमर्रा की दिनचर्या में।

क्या हम उपचार को जितना महत्व देते हैं,उतना ही महत्व बीमारियों की रोकथाम को भी दे सकते हैं ?

यही प्रश्न आयुर्वेद की स्वास्थ्य संबंधी सोच के मूल में है। आयुर्वेद का सिद्धांत 'स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्', अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आज की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें बताता है कि हमारा स्वास्थ्य इस बात से प्रभावित होता है कि हम क्या खाते हैं, कितनी नींद लेते हैं, कितने शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं और अपनी देखभाल कितनी नियमितता से करते हैं। आज जब गैर-संचारी रोग, निष्क्रिय जीवनशैली और तनाव स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौतियों के रूप में सामने आ रहे हैं, तब निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है।

उदाहरण के लिए, परिवार के साथ किया जाने वाला एक साधारण भोजन भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर हो सकता है। इसके माध्यम से हम बच्चों में पौष्टिक भोजन की आदत विकसित कर सकते हैं और परिवार के बुजुर्गों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन टहलना, नियमित योगाभ्यास करना या सोने और जागने का समय निश्चित रखना भले ही छोटे प्रयास लगें, लेकिन लंबे समय तक इनका पालन करने से स्वास्थ्य में सार्थक बदलाव आ सकता है। निवारक स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक शक्ति अक्सर ऐसे ही सरल और रोजमर्रा के निर्णयों में निहित होती है।

भारत की आयुष चिकित्सा पद्धतियां स्वास्थ्य संरक्षण और समग्र कल्याण की इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) जैसी पहलों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, वैज्ञानिक अनुसंधान, गुणवत्ता मानकों और प्रमाण-आधारित चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है, ताकि भारत का पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं में जिम्मेदारी और प्रभावी ढंग से योगदान दे सके।

हालांकि,परिवारों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी स्वास्थ्य पहल पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। एक स्वस्थ भारत का निर्माण केवल संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की आदतों और निर्णयों में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। जब भारत वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत की हमारी परिकल्पना में ऐसे नागरिक भी होने चाहिए,जो अधिक स्वस्थ, जागरूक और रोकी जा सकने वाली बीमारियों से स्वयं को सुरक्षित रखने में सक्षम हों।

यहीं धनतेरस की भावना हमें एक सार्थक बदलाव के लिए प्रेरित कर सकती है। हम इस पर्व को अपने घर में कुछ नया लाने से जोड़कर देखते हैं तो क्यों न इस वर्ष हम अपने घर एक नई अच्छी आदत भी लेकर आएं? यह आदत सोच-समझकर पौष्टिक भोजन करने की हो सकती है, नियमित योगाभ्यास की हो सकती है पर्याप्त नींद लेने की हो सकती है या परिवार के किसी सदस्य को लंबे समय से टल रही स्वास्थ्य जांच कराने के लिए प्रेरित करने की हो सकती है।

इस शुभ अवसर पर मैं प्रत्येक नागरिक से अपील करता हूं कि वह निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का व्यक्तिगत संकल्प ले। आइए हम अपनी दिनचर्या में कम से कम एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करें और परिवार के किसी एक अन्य सदस्य को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। अपने बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, आवश्यकता पड़ने पर समय से चिकित्सकीय सलाह लें और स्वस्थ जीवनशैली को पूरे परिवार की साझा जिम्मेदारी बनाएं।

इस धनतेरस जब हम अपने घरों में दीपक जलाएं,तो उसकी रोशनी हमें अपने और अपने प्रियजनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी स्मरण कराए। हम जो आभूषण खरीदते हैं वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिल सकते हैं लेकिन जो अच्छी स्वास्थ्य संबंधी आदतें हम अपने परिवार में विकसित करते हैं वे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए उतनी ही मूल्यवान विरासत बन सकती हैं।

इस धनतेरस आइए हम अपने घर केवल समृद्धि के प्रतीक ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की नई आदतें भी लेकर आएं। अपने प्रियजनों की देखभाल करें,स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं और निवारक स्वास्थ्य को अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य की नींव बनाएं।

लेखक श्री प्रतापराव जाधव केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं) //

'जेल भेज देंगे, तब समझ आएगी!' - सुप्रीम कोर्ट का बीएमसी कमिश्नर पर हंटर

सैलरी रोकी, 5 लाख का जुर्माना भी ठोका - बोरीवली में बेस्ट बस स्टेशन की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर शीर्ष अदालत ने जारी किया अवमानना नोटिस

- रिपोर्ट : विशेष संवाददाता, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- मामला: बोरीवली में बेस्ट बस स्टेशन के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाना
- कार्रवाई: बीएमसी कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी
- सैलरी: कमिश्नर और उनके निजी स्टाफ की सैलरी रोकने का आदेश - 1 दिसंबर 2026 तक वेतन नहीं मिलेगा
- जुर्माना: बीएमसी पर 5 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई गई
- पीठ: चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना
- सुनवाई की तिथि: मंगलवार, 3 नवंबर 2026
- जमीन: करीब 3,400 वर्ग मीटर जमीन - प्रशासनिक भवन सहित खाली कब्जा बीएमसी को सौंपने का आदेश था
- पहला आदेश: 13 अगस्त 2025 - निजी डेवलपर को कब्जा सौंपने का निर्देश
- दूसरा आदेश: 13 नवंबर 2025 - बीएमसी कमिश्नर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया

प्रस्तावना - जब अदालत को कहना पड़े, जेल भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के कमिश्नर के खिलाफ ऐसा सख्त रुख अपनाया है कि देशभर के प्रशासनिक अधिकारियों में इसकी चर्चा हो सकती है।

बोरीवली में बेस्ट बस स्टेशन के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने और अदालत के आदेशों की लगातार अनदेखी करने पर शीर्ष अदालत ने बीएमसी कमिश्नर को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने कमिश्नर और उनके निजी स्टाफ की सैलरी रोकने का आदेश दिया है। बीएमसी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मंगलवार, 3 नवंबर को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने बीएमसी की अतिरिक्त समय मांगने वाली याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि अब एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। अदालत ने कमिश्नर से जवाब मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

विस्तृत विवरण - अदालत में क्या हुआ?

क. सीजेआई की सख्त टिप्पणी: सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत बीएमसी की कार्यप्रणाली पर बुरी तरह नाराज नजर आए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर नगर निगम के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या अधिकारी अतिक्रमण करने वालों के साथ मिलीभगत करके उन्हें संरक्षण दे रहे हैं?

सीजेआई ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अहमियत तभी समझ आएगी, जब उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम उन्हें जेल भेजेंगे और तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भाषा समझ आएगी।'

अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन जानबूझकर और शरारतपूर्ण तरीके से किया गया है। अतिक्रमणकारियों के साथ अधिकारियों की मिलीभगत और उन्हें संरक्षण देने की आशंका पर भी पीठ ने गंभीर सवाल उठाए।

ख. 1 दिसंबर तक नहीं मिलेगी सैलरी, बीएमसी पर 5 लाख की कॉस्ट: सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी की अतिरिक्त समय देने की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने नगर निगम पर 5 लाख रुपये की लागत लगाई और कमिश्नर तथा उनके निजी स्टाफ का वेतन रोकने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि कमिश्नर को 1 दिसंबर 2026 तक वेतन नहीं मिलेगा। उससे पहले अदालत के आदेशों का पालन करना होगा।

अदालत ने कहा कि जब तक अवमानना नोटिस पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक कमिश्नर और उनके स्टाफ को मासिक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार और नगर निगम को भी वेतन जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

बीएमसी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. भट्ट ने अदालत से अनुरोध किया कि निगम को 30 दिन का समय दिया जाए और इस दौरान आदेश का पालन करने का आश्वासन दर्ज किया जाए। इस पर सीजेआई ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि पहले आदेश का पालन करके दिखाइए, उसके बाद प्रशंसा प्रमाणपत्र भी दे देंगे।

उन्होंने कहा कि अदालत अब कोई आश्वासन दर्ज नहीं करेगी। पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अधिकारियों को जरूरत पड़े तो आधी रात तक बैठकर आदेश पारित करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।

ग. मराठी दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं हुआ, इसलिए अटका मामला! सुनवाई के दौरान बीएमसी की ओर से दलील दी गई कि अतिक्रमण करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और दो बार उनकी सुनवाई भी हुई थी। इसके बाद कब्जाधारियों ने कुछ दस्तावेज पेश किए, जिनकी जांच और अंतिम आदेश पारित करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

नगर निगम ने यह भी बताया कि संबंधित अधिकारियों को मराठी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद कराना पड़ा, जिसकी वजह से कार्रवाई में देरी हुई।

इस दलील पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि अगर नगर निगम के अधिकारी मराठी दस्तावेजों को समझने में असमर्थ हैं, तो आखिर प्रशासन कैसे काम कर रहा है? उन्होंने हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी डॉ. तांबे का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या अदालत यह माने कि उन्हें मराठी भाषा ही नहीं आती?

पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी दलीलें अदालत के आदेशों की अवहेलना का औचित्य नहीं बन सकतीं।



क्या है पूरा मामला? - बेस्ट बस स्टेशन की जमीन पर कब्जे का विवाद यह मामला मुंबई के बोरीवली इलाके में बेस्ट बस स्टेशन के लिए निर्धारित जमीन से जुड़ा है। इस जमीन को लेकर बीएमसी और एक निजी डेवलपर के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है।

13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निजी डेवलपर को प्रशासनिक भवन सहित करीब 3,400 वर्ग मीटर जमीन का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा बीएमसी को सौंपने का निर्देश दिया था। साथ ही नगर निगम को बस स्टेशन का काम पूरा कर उसे चालू करने और जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा गया था।

13 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर नाराजगी जताते हुए बीएमसी कमिश्नर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था। इसमें कब्जाधारियों की सूची, जारी किए गए नोटिस, उनके जवाब और किरायेदारी या मालिकाना के दावों से जुड़े दस्तावेजों का विवरण देने को कहा गया था। इसके बाद भी कार्रवाई में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। बीएमसी ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन 3 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया।

अब कमिश्नर को अवमानना नोटिस का जवाब देना होगा और नगर निगम को अदालत के आदेशों का पालन करना होगा। इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि सार्वजनिक जमीन और जनहित से जुड़े मामलों में सरकारी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अनिश्चितकाल तक टाल नहीं सकतीं।

संपादकीय टिप्पणी - मुख्य बिंदु

क. आदेश टालना अब महंगा पड़ेगा: यह फैसला केवल बीएमसी के लिए नहीं है। यह देश के हर उस अधिकारी के लिए संदेश है जो अदालत के आदेश को फाइल में दबाकर भूल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, पालन करके दिखाना होगा।

ख. जनता की जमीन, जनता का हक: बेस्ट बस स्टेशन की जमीन कोई निजी संपत्ति नहीं, सार्वजनिक संपत्ति है। उस पर अतिक्रमण का अर्थ है आम यात्रियों का हक छीनना। बस स्टेशन नहीं बनने से लाखों यात्रियों को परेशानी होती है, लेकिन इसकी सजा जनता ही भुगतती है।

ग. बहाने अब नहीं चलेंगे: मराठी दस्तावेजों के अनुवाद का बहाना अदालत को स्वीकार नहीं हुआ। यह बताता है कि प्रशासनिक सुस्ती को अब भाषा या प्रक्रिया के नाम पर छिपाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में मराठी समझने वाला अधिकारी न हो, यह अपने आप में सवाल है।

घ. सैलरी रोकना - प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक दबाव: कमिश्नर की सैलरी रोकना केवल आर्थिक दंड नहीं है, यह जवाबदेही तय करने का तरीका है। जब तक आदेश का पालन नहीं होगा, तब तक वेतन नहीं - यह सिद्धांत अगर हर विभाग में लागू हो जाए, तो फाइलें अपने आप चलने लगेंगी।

निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक चेतावनी है - सार्वजनिक जमीन पर कब्जा और अदालत के आदेश की अवहेलना, दोनों बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

अब देखना यह है कि बीएमसी इस अवमानना नोटिस का क्या जवाब देती है और बोरीवली का बेस्ट बस स्टेशन कब तक आम जनता के लिए शुरू होता है।

परिवहन विशेष परिवार की ओर से अपील - अदालत के आदेश का पालन ही सुशासन है, टालमटोल नहीं - संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक

हेमंत सोरेन के प्रयास से अब सरकारी स्कूलों में चलेगा अंग्रेजी स्पोकेन क्लास

स्थानीय के साथ-साथ अंग्रेजी पर होगा फोकस

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मातृभाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी बेहतर शिक्षा देने की तैयारी है. न ई भाषा शिक्षा नीति में बच्चों की स्थानीय भाषा को महत्व देने के साथ अंग्रेजी बोलने और बातचीत करने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा. इसके लिए 12वीं कक्षा पास करने से पहले ही विद्यार्थियों के लिए स्पोकन इंग्लिश की कक्षाएं चलाने की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा बच्चों की रुचि और प्रतिभा को देखते हुए कौशल आधारित शिक्षा में हॉकी को भी शामिल करने पर विचार किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य भाषा शिक्षा नीति के प्रारूप पर हुई बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में अलग-अलग भाषाएं और संस्कृतियां हैं. यहां के बच्चे घर और अपने समाज में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली सहित दूसरी स्थानीय भाषाओं में बातचीत करते हैं. वहीं, स्कूलों में पढ़ाई मुख्य रूप से हिंदी या अंग्रेजी में होती है. ऐसे में कई बार बच्चे घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते हैं. इसका असर उनकी पढ़ाई और अपनी बात समझाने की क्षमता पर पड़ सकता है. इसलिए ऐसी शिक्षा नीति तैयार की जाए, जिसमें बच्चे अपनी मातृभाषा में आसानी से पढ़ाई समझ सकें. उनकी स्थानीय भाषा को स्कूलों में भी उचित स्थान मिले.

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की भाषाएं यहां की पहचान और संस्कृति से जुड़ी हैं. इन्हें शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है. बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अवसर मिले, लेकिन इसके साथ हिंदी और अंग्रेजी सीखने के रास्ते भी खुले रहें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी एक भाषा को हटाकर दूसरी भाषा थोपने के बजाय मातृभाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी को भी पढ़ाई से जोड़ा जाए. इससे बच्चों को एक से अधिक भाषाओं में अपनी बात रखने और आगे की पढ़ाई करने में आसानी होगी.

मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी बोलने और बातचीत करने की क्षमता को भी जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि आगे की पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं और खेल प्रतियोगिताओं के लिए बच्चों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. वहां अलग-अलग



लोगों से बातचीत करने की जरूरत होती है. ऐसे में अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास उनके काम आएगा. उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यार्थी जब तक 12वीं कक्षा पास करें, उससे पहले ही उन्हें अंग्रेजी बोलने और बातचीत करने का अच्छा अभ्यास मिलना चाहिए. इसके लिए स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश की उचित व्यवस्था की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की शिक्षा केवल किताबों और परीक्षा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उनकी रुचि, प्रतिभा और काम करने की क्षमता को भी विकसित किया जाना चाहिए. उन्होंने कौशल आधारित शिक्षा में हॉकी को शामिल करने पर विचार करने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के बच्चे और बच्चियां हॉकी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में स्कूल स्तर पर ही उन्हें हॉकी से जुड़ने और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलना चाहिए. इससे खेल में रुचि रखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, टीआरआई के निदेशक आलोक शिकारी कच्छप और जैक के सचिव एसडी तिग्गा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री के अधीन जल संसाधन और गृह विभाग का प्रदर्शन निराशाजनक: भक्त चरण दास

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : राज्य में सरकार नाम की कोई व्यवस्था है, यह लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चक्रवात और बाढ़ की सूचना काफी पहले मिलने के बावजूद बांधों से समय पर पानी नहीं छोड़ा गया, जिसके कारण लाखों लोगों को गंभीर संकट में धकेल दिया गया। मुख्यमंत्री स्वयं जिन विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। जल संसाधन और गृह विभाग की कार्यप्रणाली से यह स्पष्ट हो जाता है। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने लगाया। बुधवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री दास ने कहा कि जल संसाधन विभाग के जिन इंजीनियरों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण गंजाम, गजपति और कंधमाल के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, उनके खिलाफ विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य इस समय दोहरी आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में मंत्रियों को अपने सभी काम छोड़कर प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचना



चाहिए और जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी करनी चाहिए। बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री दास ने कहा कि सरकार ने जो सहायता राशि देने की घोषणा की है, वह बेहद नगण्य है। यदि प्रति एकड़ कम से कम 20 क्विंटल धान की पैदावार का अनुमान लगाया जाए, तो मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को कम से कम 62 हजार रुपये मिलने चाहिए। लेकिन सरकार ने महज 8,500 रुपये देकर किसानों को ठगने का काम किया है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जिस अन्नदाता ने अपनी पूरी फसल और आजीविका गंवा दी है, उसे 50 प्रतिशत मुआवजा देने के लिए भी यह निर्दयी सरकार क्यों तैयार नहीं है? कोटिया मुद्दे पर आंध्र प्रदेश की मनमानी और ओडिशा सरकार की अक्षमता को लेकर पूछे गए सवाल पर श्री दास ने कहा कि कांग्रेस राज्य और राज्यवासियों के साथ खड़ी है। पूर्ववर्ती बीजद सरकार की अक्षमता और वर्तमान भाजपा सरकार की निष्क्रियता के कारण कोटिया में आज यह गंभीर स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे पहले कोटिया में आंध्र प्रदेश की गतिविधियों का विरोध करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके बाद ही राज्य सरकार की नींद खुली और काफी देरी से अब वह कुछ सख्त कदम उठाती दिखाई दे रही है। श्री दास ने आरोप लगाया कि कोटिया के मामले में बीजद 24 वर्षों तक सोती रही, जबकि भाजपा सरकार भी ढाई साल तक निष्क्रिय रही। कांग्रेस ने दोनों दलों को जगाने का काम किया है। बीजद सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सही तरीके से नहीं लड़ पाई। अब भाजपा की बारी है। उन्होंने कहा कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करना डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य को इस संकट का मुकाबला करने के लिए सभी को एकजुट करने की आवश्यकता है।

देशव्यापी जाली नोटों तलास में एनआईए ने हजारीबाग में मारा छापा

प्रदीप साव एवं उदय साव के घर में छापा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, हजारीबाग में बुधवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पटना शाखा ने दो घरों में छापेमारी की। दोनों घर बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के हुरहुरू स्थित बाबा पथ के सुभाष बारला मार्ग पर हैं। ये घर दो भाइयों के बताए जा रहे हैं। इनके नाम प्रदीप साव और उदय साव है।सुबह टीम स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंची।

इसके बाद दोनों घरों में तलाशी शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान घरों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। बाहरी लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई। आसपास के लोगों को भी घर के अंदर जाने नहीं दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गया

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, एन आई ए की टीम देशव्यापी जाली नोट नेटवर्क से जुड़े एक मामले की जांच कर रही है। एजेंसी को इनपुट मिला था कि हजारीबाग के इस इलाके से जाली नोटों के कारोबार के तार जुड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही संभावित हवाला लेन-देन की भी जांच की जा रही है।

इसी इनपुट के आधार पर टीम ने दोनों ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि संबंधित लोगों का जाली नोटों के नेटवर्क से कोई संपर्क है या नहीं। हालांकि, इस मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई ह

छापेमारी के दौरान टीम ने दोनों घरों में अलग-अलग तलाशी ली।



सुबह से जारी तलाशी में दोनों घरों की जांच पूरी हो चुकी है। किसी भी गिरफ्तारी नहीं की गई है।

इसके बाद टीम वहां से निकल गई। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई।

वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजात भी खंगाले गए। घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। जांच का फोकस जाली नोटों के कारोबार और संभावित हवाला नेटवर्क से जुड़े सबूत जुटाने पर है। हालांकि, तलाशी में अब तक क्या मिला है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई

दोनों मकान मालिकों के बीच रिश्ते को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक जानकारी में उन्हें दो भाई बताया जा रहा है। हालांकि, वे सगे भाई हैं या दूर के रिश्तेदार, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

एन आई ए और स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अब तक छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। तलाशी पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि टीम को कोई संदिग्ध दस्तावेज, नकदी या अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है या नहीं। फिलहाल जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है।

कोटिया मुद्दा: नवीन ने मुख्यमंत्री को भाजपा का 2024 चुनावी घोषणा-पत्र याद दिलाया

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : कोटिया मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से नवीन ने मुख्यमंत्री को कोटिया के संबंध में भाजपा के 2024 के चुनावी घोषणा-पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की याद दिलाई है। पत्र में नवीन ने उल्लेख किया है कि 19 अक्टूबर को लिखे गए उनके पिछले पत्र और 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए जवाब के बावजूद कोटिया की स्थिति में सुधार होने के बजाय और गिरावट आई है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के बीच तनाव तथा आमने-सामने की स्थिति बढ़ने की खबरें लगातार मिल रही हैं। यहां तक कि गुरुवार को कोटिया में आंध्र प्रदेश द्वारा चुनाव कराए जाने की



तैयारी भी ओडिशा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। नवीन ने इस मामले में मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ उच्चस्तरीय बातचीत करने का आग्रह किया है। उन्होंने ओडिशा की भौगोलिक अखंडता और राज्य के हितों की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023